स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया

स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय

स्थापना वर्ष 1988

ई - वाणी

अंक 09 अगस्त–सितम्बर 2014

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 02

विकास अनुदान की प्रभावकारिता के लिए एक नई मैट्रिक्स

पृष्ठ 06

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट

पृष्ठ 14

वाणी द्वारा महाराष्ट्र में वॉइस 2014 का आयोजन

संपादकीय

नई सरकार से स्वैच्छिक क्षेत्र की आशाएं

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यो और वाणी के मित्रो

हम हाल में हुए चुनावों के गवाह हैं जिनके बारे में उचित ही यह कहा जाता है कि उन्होंने इक्कीसवीं सदी में भारत के इतिहास पर एक छाप छोड़ी है। यह जनादेश विकास को – जो अनेक वर्षों से उपेक्षित रहा – आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ एक स्थिर और मजबूत सरकार देखने की करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। पर इससे भी अधिक यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। स्वैच्छिक क्षेत्र ने – जिसे तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं – इस नई व्यवस्था का सकारात्मक रूप से स्वागत किया है और वह यह आशा करता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल स्वैच्छिक क्षेत्र की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होगा। अगर हम पिछली सरकार के कार्यकाल पर नजर डालें तो इस क्षेत्र की अनेक जरुरतों को या तो पूरा नहीं किया गया या फिर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसके ऊपर वर्ष 2011–12 में लागू किये गये एफसीआरए एक बोझ भी क्षेत्र को उठाना पड़ा जिसने निधिदान के लिए बहुत थोड़ी ही गुंजाइश छोड़ी है। इस प्रकार की स्थितियां हतोत्साहकारी थीं और उन्होंने स्वैच्छिक क्षेत्र तथा सरकार के बीच अविश्वास को जन्म दिया।

किन्तु स्वैच्छिक क्षेत्र का सर्वोच्च निकाय होने के नाते वाणी इस क्षेत्र में कुछ सुधार लाने के लिए सरकार से बात करेगी। पहली बात तो यह कि हमारे पंजीकरण कानूनों में, जो बाबा आदम के जमाने के हैं, पूरी तरह बदलाव लाने की जरुरत है। कोई भी संस्था चाहे वह अस्पताल हो, क्लब या स्कूल हो 'एनजीओ' के रूप में पंजीकृत है जो भ्रम और परेशानी का कारण है। उक्त संस्थाओं के विपरीत स्वैच्छिक संस्थाएं गैर–लाभकारी उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। इसलिए पंजीकरण कानूनों में स्वैच्छिक संस्थाओं और दूसरी "संस्थाओं" के बीच भेद या अंतर किये जाने की जरुरत है। दूसरे यह कि स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक पर्यवेक्षक और नियमनकर्ता के रूप में एक नोडल एजेंसी का निर्माण करना लाभदायक रहेगा। स्वैच्छिक क्षेत्र में ऐसे शरारती और पाखंडी तत्व आये हैं जो सच्ची संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर आंच लाते हैं और अंततः क्षेत्र की छवि को मलिन करते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के मामलों को लेकर काम करने वाला मंत्रालय या विभाग क्षेत्र का नियमन करने और उसकी विश्वसनीयता को बनाये रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरे यह कि स्वैच्छिक कार्य को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की तत्काल जरूरत है। वर्तमान सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसी नीति श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का परिणाम थी जिसके फलस्वरूप 2007 में इस नीति का एक प्रारूप बनाया गया था।

हमें आशा है कि इन प्रयासों से प्रधान मंत्री हमारे क्षेत्र की जरूरतों को हल करने में सहायक होंगे और हमारी याचिकाओं की समीक्षा करेंगे। क्षेत्र के प्रति उनकी सकारात्मक सोच पहले की तरह तब स्पष्ट हो गई थी जब अपने स्वतंत्रता दिवस अभिभाषण में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में सरकार के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं की साझेदारी का उल्लेख किया था।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य अधिकारी

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

विकास अनुदान की प्रभावकारिता के लिए एक नई मैट्रिक्स

— अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी

नयी आर्थिक परिचर्चा में नव–उदारतावाद के उभरने ने विदेशी अनुदान के संबंध में नई नई आलोचनाओं को जन्म दिया है। विदेशी अनुदान को काफी समय से जो विकसित देशों से अविकिसित देशों को दी जाने वाली रिआयत या सहायता के रूप में देखा जाता रहा था, उसे अब दक्षिण पक्ष के गलत कार्य के कारण पैदा हुआ माना जाता है। व्यापार बनाम सहायता की पूरी समकालीन बहस को इस तर्क के साथ सामंजस्य बिठाने के रूप में देखा जा रहा है कि सहायता आर्थिक संवृद्धि में योगदान नहीं करती बल्कि वह अतिव्याप्त नौकरशाही, निम्न विकास दरों और निर्धनता आदि के लिए जिम्मेदार हैं।

सहायता की परिभाषा में जरा फिर से नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि इसका अर्थ विकासशील देशों को प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थों के जरिये सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए संसाधन प्रदान करना है। विदेशी सहायता या तो आर्थिक विकास हेतु बृहत योजनाएं बनाने के लिए या तो सरकार को यह फिर अन्य स्वतंत्र संस्थाओं को प्रदान की जाती है अंतर्राष्ट्रीय रूप से विदेशी सहायता को "आधिकारिक विकास सहायता" नाम दिया गया है जो विकास के उद्देश्यों से रिआयती दरों पर आर्थिक संसाधनों का द्विपक्षीय/बहुपक्षीय हस्तांतरण है।

सहायता – समर्थक विवरण सहायता को निर्धनता से निबटने और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने के एक उपकरण के रूप में देखते हैं। यह बात सभी सहायता समर्थक पक्षों द्वारा बार–बार दोराई जाती है कि अफ्रीका और एशिया पर अपने ऐतिहासिक प्रभुत्व के चलते पश्चिम का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह निम्नतम विकसित देशों को सहायता प्रदान करे। हालांकि शोध से यह इंगित होता है कि विशेष देशों को दी जाने वाली सहायता कभी–कभी राजनीतिक और रणनीतिक विचारों से प्रेरित होती है जब कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विचारों से प्रेरित होते हैं।

"व्यापार बनाम सहायता" की बहस के समर्थक अग्रणी अर्थशास्त्री विल्यिम इस्टरली रहे हैं जिनका तर्क था कि बड़े पैमाने की सहायता परियोजनाओं का विफल होना। निश्चित होता है क्योंकि व्यापार सहायता पर हावी हो जाता है। किन्तु अनुभववादी साक्ष्य से समर्थित या तर्क वर्तमान रुझानों को ध्यान में नहीं रखता और उस पूर्वाग्रहयुक्त तर्क को आधार बनाता है जो पूरी तरह व्यापार के

पक्ष में है। व्यापार और सहायता के बीच बहस के विश्लेषण में सहायता के परिमाणत्मक प्रभाव का मापन करने वाले संकतकों की अपनी अंतर्निहित कमियां हैं और ये इस बहस को हल करने में अक्षम हैं।

विदेशी सहायता के प्रश्न पर अपनाये जाने वाले तटस्थ रुखों पर भी इस बहस में एक मंच मिल जाता है। बर्नसाइड और डालर सुसंतुलित नीतियों के माध्यम से उपयोग करने के साथ उच्च उत्पादकता का तर्क प्रस्तुत। किन्तु अनुभववादी इस तर्क के औचित्य को पर्याप्त नहीं मामने हैं और बृहत–आर्थिक नीति और सहायता के बीच सह–संबंध की स्थिरता को प्रस्तुत नहीं करते।

सहायता को उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में देखने जैसे मापन के सह–संबंध वाले संकेतक उन मुख्य हिस्सों की उपेक्षा करते हैं जो सहायता के परिणाम को अध्ययन करने में विचार करने के लिए आवश्यक हैं। जैफ्री सच्स ने "फारिन फालिसी" पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा कि सहायता तभी प्रभावकारी होती थी जब उसे निम्मनतम विकसित देशों में नवाचारपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया गया। उनका यह अनुभववादी साक्ष्य ग्लोबल फंड द्वारा वित्तपोषित अफ्रीका में एडस, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस कार्यक्रमों के विश्लेषण से सामने आया

था। संस्थाओं का प्रभावकारी प्रदायगी बिन्दु न होना प्रो. ईस्टरली के सहायता के अप्रभावी होने के दावे को गलत ठहराता है।

सहायता प्रभावकारिता आकलन को देश के विकास की सापेक्षता में देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी देश को जितनी सहायता प्रदान की जायेगी, उतना ही उसे विकसित होना चाहिए। किन्तु विकास में आनुपातिक वृद्धि की निर्धारित समय में अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि विश्लेषण की पद्धति हर देश और संस्था के मामले में अलग–अलग होती है। इस तरह के सह–संबंध का उपयोग "व्यापार बनाम सहायता" बहस के विश्लेषण में नहीं किया जा सकता। व्यापार को उसी नजरिये से नहीं देखा जा सकता जिस नजरिये से सहायता को व्यापार आपसी लाभ से प्रेरित होता है। दूसरी ओर सहायता लाभ और नुकसान के आर्थिक समीकरणों से ऊपर होती हैं और वह अलग–अलग समयावधियों के अंतर्गत परिणाम हासिल करने के लिए आत्म–निर्भर होती है।

नागरिक समाज मुख्य रूप से सरकार के पूरक के रूप में काम करता है; विरोध और हस्तक्षेप की आवाज बनता है। एक मजबूत नागरिक समाज के बिना किसी भी जनतंत्र को सफल और पूर्ण नहीं माना जा सकता। एड (सहायता) प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए अपनाये गये विभिन्न मानदंडों के हमारे विश्लेषण में हमने पाया कि समाजशास्त्रीय संकेतकों का अभाव एकआयामी (या एकतरफा) तस्वीर प्रस्तुत करता है।

व्यापार और सहायता के इन दो पक्षों का अंतः संबंध बिठाने की यह गलतफहमी दोषपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकती है और प्रभाव–आकलन को प्रभावित कर सकती जिसके अर्थव्यवस्था के लिए गलत प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए निर्धनता–निवारण विदेशी सहायता और सुप्रबंधित बृहत–आर्थिक को मिला कर हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है।

विदेशी सहायता और भारत की गैर–सरकारी संस्थाएं (एनजीओज)

सामान्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संशाधन–हस्तांतरण आधिकारिक विकास सहायता के माध्यम से होता। गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उत्तर से दक्षिण को सहायता हस्तांतरण में 1970 के दशक के बाद के वर्षों के बाद तेजी से वृद्धि हुई जिसका कारण गैर–सरकारी संस्थाओं (एनजीओज) को प्रदान की गई मान्यता थी। इस आलेख में द्विपक्षीय सहायता को अलग–अलग नागरिक समाज संगठनों को दी जाती वाली सहायता से अलग करते हुए नागरिक समाज की प्रभावकारी संलग्नता को प्रस्तुत किया जायेगा।

सहायता–प्रभावकारिता के एक संकेतक के रूप में नागरिक समाज का सशक्तीकरण

विदेशी सहायता पर नागरिक समाज की निर्भरता इन वर्षों में लगातार मौजूद रही है। नागरिक समाज मुख्य रूप से सरकार के पूरक के रूप में काम करता है; विरोध और हस्तक्षेप की आवाज बनता है। एक मजबूत नागरिक समाज के बिना किसी भी जनतंत्र को सफल और पूर्ण नहीं माना जा सकता। एड (सहायता) प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए अपनाये गये विभिन्न मानदंडों के हमारे विश्लेषण में हमने पाया कि समाजशास्त्रीय संकेतकों का अभाव एकआयामी (या एकतरफा) तस्वीर प्रस्तुत करता है।

निम्नतम विकसित देशों में नागरिक समाज की संस्था बुरी स्थिति को देखते हुए उनका विदेशी अनुदान पर निर्भर रहना जरूरी है। इस प्रकार निम्नतम विकसित देशों के नागरिक समाज को स्थिर बनाने के लिए और "सत्ताहीन" समूहों का सशक्तीकरण करने के लिए विदेशी सहायता सीधे–सीधे उत्तरदायी है। इस कारक पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विदेशी अनुदान में स्थापित जनतंत्रों से जनतंत्रीकरण करने वाले देशों में विदेशी अनुदान बढ़ा है।

नागरिक समाज के लिए स्थान बनाना परिपक्व जनतांत्रिक तौर–तरीकों की पूर्व–शर्त है। सहायता को बेकार का खर्च समझ कर दरकिनार करना आसान नहीं है। भारत में विदेशी अनुदान को सीमित करके नागरिक समाज के स्थान को कम करने के संबंध में हाल के उदाहरण इस बात का उदाहरण हैं कि किस प्रकार राज्य या राज्यसत्ता विरोध के लिए जनतांत्रिक स्थानों को सीमित और प्रतिबंधित कर रही है।

राष्ट्र संघ द्वारा सशक्तीकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई है:

"लोगों को अपने जीवनों पर नियंत्रण बढ़ाने में, अपने जीवन को स्वरूप प्रदान करने वाले कारकों और निर्णयों पर नियंत्रण हासिल करने में, उनके संसाधनों और गुणों को बढ़ाने में और पहुंच, साझेदार, नेटवर्क, आवाज हासिल करने के लिए – ताकि वे नियंत्रण हासिल कर सकें – क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम बनाना"।

संक्षेप में कहें तो सशक्तीकरण का अर्थ है – अपने मुद्दों को उजागर करने और उनके परिणाम हासिल करने के लिए समूहों और व्यक्तियों को सक्षम बनाने वाले संसाधनों तक अधिक पहुंच के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण करना।

विश्व बैंक एक संकीर्ण परिभाषा प्रस्तुत करता है जो सशक्तीकरण के अंतिम परिणाम को संपदा नियंत्रण के माध्यम से रूपांतरण के रूप में देखती है।

"सशक्तीकरण उद्देश्यपूर्ण विकल्प चुनने और इन विकल्पों को वांछित कार्रवाइयों और परिणामों में बदलने के लिए व्यक्तियों की परिसंपत्तियों और क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है।"

इस आलेख में हम राष्ट्र संघ की परिभाषा तक अपने को सीमित रखेंगे क्योंकि अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग संस्थाएं 'सशक्तीकरण' की परिभाषा अलग–अलग रूप में करती हैं। पर हम अपने निष्कर्षों का आकलन विश्व बैंक द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार भी करेंगे।

इस आलेख में अपनाई गई आकलन कार्यविधि कुछ ऐसी संस्थाओं के सकारात्मक आकलन पर आधारित है जिनका उपयोग आनुपातिक रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि भारत के अधिकतर सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़े समुदायों के भीतर सशक्तीकरण की प्रक्रिया विकसित करने के लिए विदेशी अनुदान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित मामले उन तीन संस्थाओं से चुने गये हैं जो भारत में काम करती हैं और तीन विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्यों के लिए निधियां प्राप्त कर रही हैं।

पहली संस्था "कांसेप्ट सोसाइटी" मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में

स्थित है और अनेक विषयगत मुद्दों पर काम करती रही है जिसमें महिला अधिकार, जनजातीय सशक्तीकरण, जल और स्वच्छता आदि के मुद्दे शामिल हैं। इस समय हम उनकी दो परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली परियोजना है "स्थिरतापूर्ण कृषि और विकास" जिसमें लक्ष्य इंदौर जिले के जनजातीय लोगों को बनाया गया। परियोजना का मुख्य बिन्दु था इन लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करना और उनके लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाना। इस परियोजना में अपनाई गई पद्धति थी– आजीविका विकास के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना, संदर्श और संस्था सूक्ष्म निर्माण कार्यतंत्र तैयार करना,, जिसमें जेंडर को मुख्य धारा में लाना, सीबीओज का गठन करना और जरूरत आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना शामिल था। आदिवासियों के लिए उपयुक्त विभिन्न आजीविका कार्यतंत्रों के बारे में जानकारी देने वाले सरल डिजाइन माडयूल्स के माध्यम से कन्सेप्ट सोसाइटी जनजातीय लोगों के बीच जागरूकता की भावना पैदा करने में सफल रही। इसके अलावा परियोजना ने महिला समूहों को भी संगठित किया जा समुदाय की ओर से आजीविका जनन कार्यतंत्र निर्मित करते थे। महिलाओं के बीच मौजूद पिछड़ेपन को देखते हुए इसे एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया।

इन डिजाइन योजनाओं के माध्यम से कांसेप्ट सोसाइटी अपने क्षेत्रों से दूसरे गांवों और शहरों में आदिवासियों के पलायन को रोकने में सफल रही। अब इन आदिवासियों को उन गांवों और शहरों में – जहां उनका अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक शोषण होता था– पलायन करने की बजाये कृषि कार्यों पर निर्भर होना अधिक आसान लगा।

हमारा दूसरा मामला बिहार में कार्य करने वाली संस्था, इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट फाउंडेशन का है जिसने भारत में स्वयं सहायता समूह पहलकदमी और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से दलित महिलाओं के लिए सशक्तीकरण योजना का कार्यान्वयन किया था। परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 650 महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। परियोजना का उद्देश्य बांस शिल्पकला, पट्टे पर ली गई भूमि पर सामूहिक कृषि, मसाले बनाना जैसे आय जनन कार्यकलापों का प्रशिक्षण देकर ऋण तक इन महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना था। संस्था ने 25 गांवों की 650 महिलाओं को 45 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया और साथ ही जेंडर संबंधी मुद्दों, पंचायती राज, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छ पेय जल तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता भी पैदा की।

उपलब्धियां – आईडीएफ संस्था ऋण एवं बचत के संबंध में जागरूकता पैदा करने में सफल रही जिसके फलस्वरूप 45 स्वयं सहायता समूहों ने 11,54,600 रुपये की बचत की; 18,47,450 रुपये सदस्यों के बीच ऋण के रूप में वितरित किये गये; सदस्यों ने

13,67,300 रुपये वापस लौटाये और समूहों ने कुल 43,289 रुपये की आय अर्जित की। इस कार्य के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहाकें के 650 सदस्य ऋण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। परियोजना के अंतर्गत कानूनी समूह गठित करने संबंधित विषयों पर समुदाय के नेताओं को शिक्षित किया गया। उदाहरण के लिए 45 समूहों के 20 चुने हुए नेताओं को यह प्रशिक्षण किया गया कि फेडरेशनों का निर्माण कैसे करना है। कुल मिला कर यह परियोजना महिला का क्षमता निर्माण करने में सफल रही और 100 महिलाओं को मनरेगा योजना के लिए रोजगार कार्ड दिये गये।

तीसरा मामला ग्राम विकास का है। यह संस्था उडीसा के अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती रही है। ग्राम विकास का एक प्रमुख विषयगत कार्य–क्षेत्र है– ग्रामीण स्वच्छता जिसके अंतर्गत शोचालय और स्नानघर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्राम विकास को समुदायाओं को अपनी स्वच्छता सुविधाएं निर्मित करने हेतु प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। ग्राम कार्यकारिणी समितियों की स्थापना करके हर परिवार के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है िकवह शोचालयों को चालू रखने के उद्देश्य से दो गड्ढा शोचालय बनाये और नल के पानी की आपूर्ति के साथ स्नानघर बनाये। इसके अलावा ग्राम विकास ने टंकियों की सफाई और क्लारीनीकरण प्रक्रिया पर भी निगरानी रखता है जो मानसून–आधारित उडीसा में रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है।

उपलब्धियां – 55 गांवों में 2908 परिवारों ने शौचालय और स्नानघर बना लिये हैं। 147 परिवारों ने पेय जल प्रणालियां स्थापित कर ली हैं और 98 गांवों को पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 74 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

इन तीनों मामलों की मुख्य विशेषता है, नागरिक समाज के संगठनों द्वारा तैयार की गई सशक्तीकरण की प्रक्रिया। यह बात उल्लेखनीय है कि इन तीनों संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाएं विदेशी निधियों के आधार पर चल रही हैं और इन्होंने ऐसे परिणात्मक और प्रमाणित परिणाम हासिल किये हैं जिनकी परिणति आजीविका जनन, वित्तीय समावेश और स्वच्छता सुलभ करने में हुई है। हमारी दो केस स्टडीज में हमने देखा कि आर्थिक सशक्तीकरण का मानदंड "परिसंपत्ति–निर्माण" है, जैसा कि विश्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है।

पहले मामले में जब कांसेप्ट सोसाइटी ने समुदाय–उन्मुख स्थिरताकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिएआदिवासियों को प्रेरित कर दिया तो उससे आय जनन हुआ। दूसरे मामले में जब आईडीएफ ने स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय अवसर तैयार तो मौद्रिक प्रणाली में उनका समावेश हुआ। इस प्रकार कहना न होगा कि ग्राम विकास द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छता अभियान राष्ट्र संघ द्वारा दी गई परिभाषा के अर्थात "क्षमता निर्माण द्वारा नियंत्रण हासिल करना" के अनुरूप है।

निष्कर्ष

जहां "व्यापार बनाम सहायता" बहस पूरी तरह से निश्चित उत्तर प्रदान नहीं कर सकी, लेकिन इन दोनों पक्षों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हैं। हमने यह साफ–साफ देखा कि विदेशी निधिदान के सकारात्मक परिणाम क्या है जिनकी छोटे से समाय में सरकार से अपेक्षा करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम यह भी देखते हैं कि नागरिक सामज संगठनों द्वारा विदेशी अनुदान से चलाई गई परियोजनाओं के फलस्वरूप सरकारी सहायता वाली निर्धनों के लिए बनाई गई नीतियों के फलप्रद कार्यान्वयन में हुआ जैसे कि मनरेगा, निर्मल भारत अभियान आदि। इसलिए व्यापार–समर्थक पक्ष सहायता के अप्रभावी होने के मामले में सटीक नहीं हो सकता, जबकि इसके विपरीत सहायता ने नागरिक समाज की कार्रवाई के लिए प्रभावकारी रूप से स्थान बनाया है। इसके साथ ही विदेशी निधिदान के माध्यम से वित्तीय रूप से सुरक्षित हो जाने के बाद नागरिक समाज के संगठना परियोजना कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त नवाचारपूर्ण रणनीतियां बनाने हेतु समय देने और संसाधनों का निवेश करने में सफल रहे। निष्कर्ष स्वरूप यह आशा की जाती है कि सरकार विदेशी निधिदान की सक्षमता का अध्ययन करेगी और निधियों से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के वर्तमान बयानबाजी को दरकिनार करेगी।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

26–27 अगस्त, 2014

सम्मेलन की रिपोर्ट

प्रस्तावना

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) ने हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) के सहयोग से 26–27 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य नागरिक समाज के दृष्टिकोण से दक्षिण–दक्षिण सहयोग के निहितार्थों, चुनौतियों और भविष्य पर विचार–विमर्श करना था। इसके साथ ही इसमें जी–20, ब्रिक्स, और आईएसबीए जैसे नये मंचों से अपेक्षाओं की जांच की गई और सरकारों, निजी कंपनियों तथा नागरिक समाजों के साथ साझेदारी की संभावनाओं की छानबीन की गई। हाल के वर्षों में भूमंडलीय दक्षिण के उभार के साथ ध्यान का केंद्र दक्षिण–दक्षिण सहयोग हटा है, क्योंकि विकासशील देश अधिक मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं।

इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भारत के नागरिक समाज के लिए बंद सी थी। पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग के नवीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को उद्घाटित करने में मदद की है। यह सम्मेलन नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के विकास विशेषज्ञों तथा दक्षिण के देशों को एक साथ लाने का अवसर था। इसके साथ ही यह इस बात पर आवश्यक संवाद शुरू करने का अवसर भी था कि स्वैच्छिक संस्थाएं किस प्रकार अधिक विश्वसनीय बन सकती हैं और विकास प्रक्रिया में किस प्रकार उत्तरदायी साझेदार साबित हो सकती हैं।

वाणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), श्री हर्ष जेतली ने स्वागत अभिभाषण दिया और उसके बाद अगले दो दिनों के लिए सम्मेलन का एजेंडा (कार्यावली) निर्धारित किया। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) की अवधारणा और इसकी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के संबंध में एसएससी की सामूहिक छानबीन करने की जरूरत पर बल दिया।

सत्र 1: दक्षिण–दक्षिण सहयोग : प्रक्रिया, लक्ष्य और निहितार्थ

पहले सत्र का संचालन एचबीएफ के डॉ. एक्सेल हरन्येट – सिर्वर्स ने किया। उन्होंने सत्र के मुख्य आधार को प्रस्तुत किया जिसका अर्थ था – एसएससी को रूप प्रदान करने वाली व्यापक अवधारणाओं पर विचार करने एसएससी के संबंध में परिप्रेक्ष्य विकसित करना; और इसके साथ ही 1950 के दशक से लेकर जी–20 और ब्रिक्स जैसी भूमंडलीय अभिशासन की नई संस्थाओं तक एसएससी के विकास पर विचार करना।

उनकी यह भी कहना था कि कभी–कभी दक्षिण के देशों में इन संस्थाओं की प्रवृत्ति सीधे–सीधे उत्तर के विरुद्ध सामने लाने की होती है।

सत्र की शुरुआत रिसर्च एंड इंफ्रामेशन सिस्टम फार डिवेलपपिंग कंट्रीज (आरआईएस) के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल), डॉ. सचिन चतुर्वेदी द्वारा दक्षिण–दक्षिण सहयोग के विभिन्न पहलुओं और प्रासंगिकता को प्रस्तुत करने के साथ हुई। उनका कहना था कि अक्सर दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) को अक्सर सरकार से सरकार के बीच संबंध जोड़ने के रूप में देखा जाता है। पर अगर सरकारी संपर्कों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के उद्गम या आधार को केवल सरकारी संपर्कों के रूप में गलत होगा क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) का जिस रूप में एशिया में उभार हुआ और जिस तरह उसका पालन किया जाता है वह काफी अलग है क्योंकि एशिया में व्यक्तित्व चालित कार्यक्रम पूरे परिदृश्य पर हावी हैं जबकि लैटिन अमरीका में स्थिति अलग है। वहां पहले प्रक्रिया को बौद्धिक रूप से समझने पर ध्यान

केंद्रित किया गया था। इसलिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) का संस्थागत रूप लैटिन अमेरिका में बेतहर है। इसका कारण यह है कि वे एसएससी को खुले रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

इस प्रस्तुतीकरण के बाद नेशनल फाउंडेशन आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, श्री अभिताभ बेहर ने अपना अभिभाषण दिया। उनका यह कहना था कि शुरु में बांडुंग सम्मेलन की भावना दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) को प्रेरक शक्ति रही है। इसी से दक्षिण–दक्षिण सहयोग ने शक्ति और वैधता प्राप्त की है। किन्तु बांडुंग सम्मेलन की भावना का आदर्शवाद और उसे द्वारा दिया गया एशिया अफ्रीका अरब एकजुटता का संदेश अब पूरी तरह से लुप्त हो गये हैं। इसकी बजाये हम नये परिप्रेक्ष्यों के साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग के पुनरुत्थान की आशा कर रहे हैं। हमने यहां दो प्रमुख परिप्रेक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक यह है कि उभरते हुए देश स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एसएससी के विचार का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा परिप्रेक्ष्य यह है कि ये उभरती हुई आर्थिक शक्तियां अपने विकास में सहायता पहुंचाने के लिए और नव–साम्राज्यवाद के नये रूप सामने लाने के उद्देश्य से अपने लिए उपनिवेश ढूंढ रही हैं।

उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि अपने वर्तमान रूप में दक्षिण–दक्षिण सहयोग जनता और जनता के बीच संपर्क और नागरिक सामज की संलग्नताओं के माध्यम से विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान की बजाये अवसंरचना विकास पर आधारित है। दक्षिण में नागरिक समाजों के बीच जो थोड़ा संवाद होता है वह भी अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्थाओं (आईएनजीओज) की मध्यस्थता में होता हैं और यहां तक कि दक्षिण के अन्य देशों के बारे में हमारे विचार और अनुभव भी पश्चिमी अध्ययनों रूपायित होते हैं। पर पिछले कुछ वर्षों में नागरिक समाज कुछ गति हासिल करने और संपर्क बनाने में सफल रहा है। वर्ष 2015 के बाद के विकास एजेंडा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को तैयार करना एक गैर–समावेशपूर्ण प्रक्रिया थी, पर वर्ष 2015 के बाद के ढांचे के लिए राय और सुझाव उत्तर के थिंक टैंक्स और नागरिक समाज समूहों से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही "निगमित बंदीकरण" की भावना भी मौजूद है क्यों हम 2015 के बाद की प्रक्रिया के निरुपण में निश्चित रूप से निगमित कंपनियों की उपस्थिति देखते हैं।

अपने अभिभाषण में ग्राम विकास के पूर्व सीईओ, जो मेडियथ ने बताया कि बर्तमान भूमंडलीय परिदृश्य में किस तरह स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए स्थान तैयार और विकसित किया जा सकता है। उनका कहना था कि नागरिक समाज को स्थान बिरले ही दिया जाता है। इसके बावजूद हर उस स्थान को जिसका अर्थ और मूल्य है, हासिल किया जाना चाहिए। यदि एक बार नागरिक समाज की संस्थाएं (सीएसओज) स्थान प्राप्त कर लेती हैं जो उन्हें मिसाल प्रस्तुत करके सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उस स्थान का उपयोग लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। सरकार और निगमित क्षेत्र के निकायों के साथ अपने कार्य में नागरिक समाज संगठनों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इस दृष्टिकोण के साथ नागरिक समाज संगठनों के लिए लागत प्रभावकारिता और किफायती नवाचारपूर्ण कार्य जैसे यूएसपी को परिभाषित करना चाहिए। किसी भी सफल सीएसओ के लिए इस यूएसपी के साथ विविधता या अनेकता भी होनी चाहिए जिससे विशेषज्ञता को दूसरों को प्रदान किया जा सके जो असके बाद कार्य को और उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने खुद अपनी संस्था, ग्राम विकास का उदाहरण देते हुए बताया कि एफसीआर और आयकर कानून के विपरीत प्रावधानों जैसी नौकरशाही की बाधाओं की वजह से विदेशों में काम करने में सीएसओज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सत्र 2: देश प्रस्तुतीकरण

दिन के दूसरे सत्र के रौरान अपने–अपने देशों के राष्ट्रीय मंखें का प्रतिनिधितव करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों ने संक्षिप्त देश प्रस्तुतीकरण किये। इसका उद्देश्य हर देश में एसएससी के अनुभवों के बारे में जानना और समान समझ विकसित करने के लिए एसएससी के मुद्दों पर विचार–विमर्श करना था।

पहला प्रस्तुतीकरण "रियेलिटी आफ एड नेटवर्क – ऐशिया पंसिफिक, आइबोन इंटरनेशनल की सुश्री एरिन पालोमेअर्स ने किया। "रियेलिटी आफर एड" विकास प्रभावकारिता के लिए सीएसओ साझेदारी कासदस्य है। उन्होंने विचार–विमर्श के महत्पव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां विकास साझेदारियां प्राप्तिकर्ता देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से चालित होती है वहां राष्ट्रीय स्वामित्वऔर जनतांत्रिक स्वामित्व के बीच भेद किया जाना चाहिए।

अगला प्रस्तुतीकरण कॉआपरेशन कमिटी आफ कंबोडिया (सीसीसी) की प्रतिनिधि सुश्री सिन पुथियरी ने किया। उन्होंने देश की स्थिति का परिचय देते हुए कोलंबिया नागरिक समाज की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सीसीसी को बिजन कंबोडिया मजबूत और सक्षम नागरिक समाज की सहायता से टिकाऊ विकास की दिशा में बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे सक्रिय नागरिक समाज के निर्माण के लिए जो विकास की चुनौतियों का प्रत्युत्तर दे सके, सीसीसी ने सीएसओ अभिशासन और उसकी प्रभावकारिता को तथा अनुकूल वातावरण बनाने और सीएसओज के बीच स्वस्थ साझेदारियां निर्मित करने को प्राथमिकता दी है।

उनके प्रस्तुतीकरण के बाद कोरिया एनजीओ कौंसिल फार ओवरसीज डेवलपमेंट कोआपरेशन (केसीओसी) और एशिया डेवलपमेंट एलाएंस (एडीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अनसेल्मों ली ने अपना प्रस्तुतीकरण किया। अपने अभिभाषण के आरंभ में

उन्होंने एसएसी में आये बदलावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बांडुंग सम्मेलन के वर्षों में नागरिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, पर अब जनतंत्र और मानव अधिकार के मुद्दे दरकिनार हो गये हैं।

अगला प्रस्तुतीकरण एनजीओ फेडरेशन ऑफ नेपाल (एनएफएन) के श्री गोपाल नाथ योगी ने किया। उन्होंने विशेषकर नेपाल में गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्य को विनियिमित करने के उद्देश्य से नई सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए नेपाल की गैर–सरकारी संस्थाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इन नीति के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं को "महिला, बाल और समाज कल्याण मंत्रालय" के अंतर्गत गठित "परियोजना विश्लेषण और सुगमन" से परियोजनाओं के लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसके साथ ही उन्हें वित्त मंत्रालय में 'एड मैनेजमेंट फोरम' को प्राप्त हुई निधियों के बारे में सूचित करना पड़ता है। अनुदानकर्ताओं (डोनर्स) को साझी दिलचस्पी वाली परियोजनाओं के लिए निधियां बास्केट फंड में जमा करनी होती हैं।

ब्राजील, अबोंग में गैर–सरकारी संस्थाओं के राष्ट्रीय मंच का प्रतिनिधित्व कर रही, जूलियाना सेजर अगला प्रस्तुतीकरण कियां उन्होंने ब्राजीलियन डेवलपमेंट कोआपरेशन की विभिन्न कार्य पद्धतियों के बारे में बताया जिनमें से सबसे प्रमुख था तकनीकी सहयोग। ब्राजील की सहायता मुख्यतः अफ्रीका पर (मुख्यतः पुर्तगाली भाषी हिस्से) पर और फिर दक्षिण अमेरिका पर केंद्रित है। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपक्षीय तकनीकी सहयोग के अंतर्गत ब्राजील के अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं। हालांकि ब्राजील की विदेश नीति में द्विपक्षीय सहयोग एक प्राथमिकता बना हुआ है, ब्राजील की सरकार एसएससी के द्विपक्षीय माध्यमों द्वारा की गई पहलकदमियों को पूरित करने और उनमें विशेष साझेदारियों को उपयोग करती है।

सत्र 3: एक उभरते अनुदानकर्ता के रूप में भारत

दूसरे दिन की शुरूआत अन्य दक्षिणी देशों को एक प्रमुख अनुदानकर्ता के रूप में भारत की भूमिका पर विचार–विमर्श से हुई। वक्ताओं में श्री जयंत कुमार, वाणी के चेयरपर्सन, श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव डीपीए–2 और श्री ला डेनूआ लारेंट, भारत में यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि शामिल थे।

श्री जयंत कुमार ने तकनीकी सहयोग और व्यावसायिक साझेदारियां प्रदान करने तथा आपसी सीख के लिए वातावरण तैयार करने के भारत के लंबे इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ने यह निश्चित कर दिया है कि भारत भूमंडलीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह नागरिक समाज का अधिकार है कि वह आपसी सरोकार के क्षेत्र तलाशे और जहां भी उसका स्थान सीमित है, वहां उसे बढ़ाने के लिए संवाद में संलग्न हो।

उनकी आरंभिक टिप्पणियों के बाद भारत की विकास सहायता पर वाणी द्वारा किये गये अध्ययन को प्रस्तुत किया गया।

श्री कुमार तुहिन ने विदेश मंत्रालय के विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) प्रभाव द्वारा अपनाये गये सहायता के मॉडल पर अपना प्रस्तुतीकरण किया। उनका कहना था कि भारत ओईसीडी–डीएसी के अंतर्गत एक अनुदानकर्ता या नये अनुदानकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत एक विकासशील देश है जिसे आने वाले अनेक वर्षों में काफी अधिक संसाधन देश के भीतर निर्देशित करने होंगे और इसलिए वह दायित्वों से बंधा नहीं है।

उनका यह भी कहना था कि बुसान के बाद की स्थिति विकास के लिए वित्त और 2015 के बाद की स्थिति जैसी प्रक्रियाओं के

बारे में भारत की समझ एनएससी द्वारा स्थापित समझ से अलग है। इसलिए विकास सहायता प्रदान करने और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भारत ने जो प्रक्रियाएं अपनाई हैं; वे भी अलग हैं और सच तो यह है कि अभी भी विकसित हो रही हैं।

उन्होंने भारत के विकास सहयोग को सुगम बनाने के प्रयास में डीपीए के सामने उपस्थित कुछ चुनौतियों की जानकारी दी। उनके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रबंधित सहयोग की विभिन्न धाराओं के बारे में आंकड़े संकलित करना; पर अब तक आंकड़ा संग्रह और प्रचार–प्रसार में डीपीए ने अच्छे परिणाम हासिल किये हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि सरकार नागरिक समाज के साथ सहयोग करने को उत्सुक है क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए अनेक हितधारकों की भागीदारी आवश्यक होती है। सरकार ने पहले सेवा, टेरी, बेयरफूट कालेज जैसे नागरिक समाज के संगठनों को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया है और एफआईडीसी की स्थापना की है जो सरकार, नागरिक समाज और अकादमिक जगत के लिए एक साथ आकर विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करने का एक मंच है।

श्री लाउरेंट ने अपने प्रस्तुतीकरण के आरंभ में अपने से पहले किये गये प्रस्तुतीकरणों पर विचार और टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि देशों के विकास सहयोग प्रक्रिया में अलग–अलग राजनीतिक और आर्थिक हित हैं। पर ये हित काफी वाजिब हैं और नागरिक समाज को इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सहयोगकारी प्रक्रिया के माध्यम से विकास हासिल करने में सच्ची दिलचस्पी भी मौजूद है।

उनका कहना था कि भारत का नागरिक समाज भूमंडलीय रूप से अच्छी स्थिति में है क्योंकि परियोजनाओं के प्रबंधन में उसके विशेषज्ञ – ज्ञान को मान्यता प्राप्त है। इसलिए अगर भारत को सचमुच भूमंडलीय कार्य–पक्ष बनना है तो उसे भारत की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना होगा क्योंकि नागरिक समाज भारतीय मूल्यों और कार्य के सर्वोत्तम तरीकों को विदेश में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने निष्कर्षस्वरूप कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि खुद एनएससी में बदलाव आ रहा है और उत्तर में अनुदानकर्ता एजेंसियों को कोई समान मॉडल नहीं है।

सत्र 4: भारत की विकास सहायता पर पैनल विचार–विमर्श

दूसरे सत्र में पैनल विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिसका संचालन कोड–एनजीओ के श्री सिक्सटों दोनाटो सी मैकासिएट ने किया। वक्ताओं में कोवा के, डॉ मजहर हुसैन; कट्स इंटरनेशनल के, श्री प्रदीप एस मेहता; प्रिया के डॉ. कौस्तुव बंद्योपाध्याय और वाणी की डॉ. ज्योत्सना एम. सिंह शामिल थे।

विचार–विमर्श के अंतर्गत भारत के विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर विचार–विमर्श जारी रहा।

सत्र 5: समापन सत्र

सम्मेलन के समापन के दौरान दक्षिण–दक्षिण सहयोग से संबंधित मुद्दों, समस्याओं आदि पर चर्चा की गई।

व्यापक रूप से यह सहमति बनी कि नागरिक समाज के संगठनों के पास दक्षिण–दक्षिण सहयोग को वास्तविक रूप से निर्मित करने का अवसर मौजूद है। पर ऐसा करने के लिए नागरिक समाज को अपने ठोस अनुभवों को दर्शाना होगा। यहां यह उजागर करने की जरूरत है नागरिक समाज के पास इसमें मूल्य जोड़ने की विशेषज्ञता और क्षमता है।

नागरिक समाज के संपर्क भी इस संबंध में अपर्याप्त पाये गये कि किस तरह से भारतीय कंपनियों या सरकार की परियोजनाओं को साझेदार देशों की स्थानीय आबादियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए नागरिक समाज के संगठनों को अपने संपर्क मजबूत बनाने होंगे और अनुभवों का दस्तावेजीकरण करना होगा ताकि इस बात पर नजर रखी जा सके कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) सही दिशा में योगदान कर रहा है कि नहीं। उन्हें शोषण से बचाने के लिए स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाओं का क्षमता–निर्माण भी करना होगा।

उत्तर प्रदेश की आवाज़

— वाणी द्वारा

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और लखनऊ इस राज्य की प्रशासिक और विधायी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत में एक उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र है। राज्य का सबसे बड़ा नगर कानपुर है। जनगणना, 2011 के विवरणों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है जिसमें से 22.27 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में और 77.73 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित समस्याएं

स्वैच्छिक संस्थाओं का जन्म समाज में बदलाव लाने के लिए सामाजिक असमानताओं और अंतरिक आकांक्षाओं की वजह से हुआ था। अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाएं दूर–दराज के क्षेत्रों में काम करती हैं और उन्हें बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन संस्थाओं को उनके कार्य और लक्ष्य समूह की पहचान के आधार पर भी चुनौतियों का सामना करना होता है। इस समय उत्तर प्रदेश की स्वैच्छिक संस्थाएं निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रही हैं:

1. **निधि स्रोतों का अभाव** – दिन–ब–दिन सरकार द्वारा निधियों के अनुपालन और जांच को अधिकाधिक कठोर बनाया जा रहा है। सभी स्तरों पर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया बोझिल और लंबी होती जा रही है।

2. **जानकारी और ज्ञान का अभाव** – दूर–दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को नीतियों, कार्यक्रमों और जानकारी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

3. **अलग रह कर काम करना**–दूर–दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं समान मुद्दों पर काम करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ अनुभवों का आदान–प्रदान नहीं कर पातीं। इसलिए वे अलग–थलग होकर काम करती रहती हैं और निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए नागरिक समाज के अन्य संगठनों, सरकारी मशीनरी, निजी क्षेत्र और मीडिया के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने की जरूरत है।

4. **राष्ट्रीय नीतियों और जमीनी स्तर की वास्तविकता के बीच अंतर** – अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाएं स्थानीय मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर वाली योजना प्रणाली की वजह से राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय मुद्दों के बीच अंतर बचा रह जाता है। जमीनी स्तर के मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

5. **स्थानीय मुद्दों को विस्तारित करना** – भूमंडलीकरण और उदारीकरण के वर्तमान दौर में सरकारी कार्यक्रम और नीतियां अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित हो रही हैं। समुदाय और समाज को इस संबंध में संवेदित करना या जागरूक बनाना कठिन होता जा रहा है इसलिए इन संस्थाओं के लिए स्थानीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाना एक बड़ी चुनौती बन गई है।

6. **एडवोकेसी (पैरवी) और लाबीइंग** – समुदाय के सीमांतीकृत तबकों के अधिकारों और हकदारियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को नीतिगत बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता जुटाने की जरूरत होती है। स्थानीय

अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाएं स्थानीय मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर वाली योजना प्रणाली की वजह से राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय मुद्दों के बीच अंतर बचा रह जाता है। जमीनी स्तर के मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

समुदायों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले इन संगठनों के सामने नीतिगत बदलाव के लिए क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होती है।

7. **सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के संबंध** – स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर अग्रगामी कार्यक्रमों के साथ सरकार की भूमिका ऐसे अनुदानकर्ता की होती है जो कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यक्रम और योजनाएं ठेके पर देता रहा है। इसकी वजह से अनेक जटिलताएं उभर कर सामने आई हैं और सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच संबंधों में कई मुद्दे उभरे हैं।

8. **जवाबदेही और विश्वसनीयता के मुद्दे** – स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले अनुदानों और निधियों के मामले में सरकारी अधिकारियों के सतत उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए संस्थाओं के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

9. **स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वैचारिक मतभेद** – एक ही तरह के मुद्दों पर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव और वैचारिक मतभेद रहे हैं। विशेषकर अनुदाता एजेंसियों की दृष्टि से उनके बीच प्रतियोगिता की भावना मौजूद रही है। वैचारिक मतभेद की वजह से कार्यकलाप प्रभावित होते हैं।

10. **स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग का अभाव** – अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी चुनौतियों में हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं को एकजुट करने और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्हें एकजुट करना इसलिए जरूरी है ताकि स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो सके।

11. **अपराध और पैसा हड़पना (गबन)** – स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदानों और निधियों को जारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड़ों की पूर्ति करने के मामले में कार्यान्वयकर्ता एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के मामले सूचित किये हैं। जो संस्थाएं भ्रष्टाचार नहीं करतीं उन्हें निधियां प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कई अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझना पड़ता है।

12. **प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संस्थाएं** – यह देखा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों या उनके परिचितों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित काफी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। उन्हें कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान और निधियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।

सिफारिशें

1. राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति–सरकार की एक स्वैच्छिक क्षेत्र नीति होनी चाहिए और उसमें सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र की समान भागीदारी होनी चाहिए। इस समय उनके बीच दाता और प्राप्तिकर्ता का संबंध है।
2. स्वैच्छिक क्षेत्र की जवाबदेही और विश्वसनीयता – स्वैच्छिक संस्थाओं को आंतरिक सुशासन अपनाना चाहिए और अपनी कार्य–पद्धतियों में बदलाव लाना चाहिए। उन्हें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मानदंड निर्धारित करने चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल न उठा सके।
3. सरकार को मानदंड और मानक तैयार करने के बाद स्वैच्छिक क्षेत्र को कुछ राशि निश्चित रूप से उपलब्ध करानी चाहिए जो स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य और कार्य क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार हो।
4. कार्यशक्ति के बीच स्थिरता – सरकार को स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्यशक्ति की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए पहलकदमी करनी चाहिए ताकि ये कर्मचारी भविष्य में अनिश्चितता और सामाजिक असुरक्षा से प्रभावित न हों।
5. सरकार, संचार माध्यमों और स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक ऐसी संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए जो नियमित आधार पर सरकार और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता पर नजर रखे।
6. यह जरूरी है कि सरकारी विभागों और स्वैच्छिक क्षेत्र इन दोनों के बीच समान साझेदारी के लिए दोनों पक्ष पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का पालन करें।
7. सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम (1860) के अंतर्गत पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली को कार्यान्वित करना।

   एफसीआरए के संबंध में ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार ही सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम (1860) के अंतर्गत भी राज्य में ऑनलाइन प्रणाली होनी चाहिए। इससे विलम्ब और भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद मिलेगी।
8. संस्थाओं के पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए।
9. स्वैच्छिक संस्थाएं चाहे छोटी हों या फिर बड़ी उन्हें विकास कार्य में नियमित आधार पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे काफी हद तक स्थानीय समुदायों को लाभ प्राप्त होगा।
10. सरकार के साथ कार्य की रणनीतियां – स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकार के बीच संबंधों और साझेदारी को मजबूत बनाया जाना चाहिए। सरकार को वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में स्वैच्छिक क्षेत्र की मदद करनी चाहिए।

अधिसूचना

आपको यह सूचित किया जाता है कि विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के भाग 16 के अनुसार एफसीआरए एकाउंट रखने वाले सभी संगठनों को वर्ष 2016 में अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि एफसीआरए 2010 के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र पांच वर्षों के लिए अर्थात एक मई 2011 से 30 अप्रैल 2016 तक के लिए, वैध है। यदि आपका पंजीकरण कथित तिथि के बाद का है तो तदनुसार अपने पंजीकरण के नवीकरण के लिए पांच वर्ष गिनें।

स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष संस्था होने के नाते वाणी क्षेत्र के लिए नियमनकारी वातावरण को आसान बनाने का प्रयास करती है ताकि वह बिना अड़चनों और बाधाओं के अपना कार्य कर सके। क्योंकि एफसीआरए पंजीकरण का नवीकरण सभी संगठनों के लिए पहला अनुभव होगा, तथा कुछ संस्थाओं को अधिक मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत होगी, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि पंजीकरण के लिए परामर्शिका का पालन करें (कृपया संलग्न पृष्ठ देखें)। इस परामर्शिका को आप अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वितरित कर सकते हैं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

कृपया अपने वार्षिक रिटर्न समय पर जमा करें और उनकी हार्ड कापी गृह मंत्रालय के पास भेजें। अपने रिकार्ड के लिए स्पीडपोस्ट की रसीद रख लें। अगर नाम, पते, पंजीकरण, संस्था के कार्यकलापों और लक्ष्यों के बारे में कुछ परिवर्तन हुआ है तो गृह मंत्रालय को परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर सूचित करें। इन निर्देशों का पालन करने से आपके एफसीआरए पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया आसान हो जायेगी।

तेपई में गैर–सरकारी संस्थाओं का सम्मेलन

17 अक्टूबर को तेपेई में एशिया के गैर–सरकारी संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय विकास सम्मेलन आरंभ हुआ। इसमें देश–विदेश के विशेषज्ञों ने गैर–सरकारी संगठनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के संबंध में अपने अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

इन दो दिवसीय सम्मेलन को विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ताइवान एलाएंस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने आयोजित किया जिसमें ताइवान और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ताइवान एड की अध्यक्ष रेबेका बांग का कहना था कि एशिया में अंतर्राष्ट्रीय विकास के अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं जिन्हें व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

"कुछ एशियाई देश आर्थिक विकास के बल पर सहायता के प्राप्तिकर्ताओं से अनुदानकर्ता देश बन गये हैं। हम विश्व की संबंधित नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा करते हुए एशियाई गैर–सरकारी संस्थाओं के दृष्टिकोण और अनुभव की उपेक्षा नहीं कर सकते।"

वंग, जो 2012 में आयोजित द्वैवार्षिक आयोजन की कन्वीनर थी, का कहना था कि इस वर्ष का सम्मेलन 2015 के बाद के विकास एजेंडा को लेकर है। यह एक राष्ट्र संघ के नेतृत्व में चलने वाली प्रक्रिया है जो 2015 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की तिथि के बाद भविष्य के भूमंडलीय विकास ढांचे को प्रदान कर रही है।

एशियाई गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका और संभावनाओं को उजागर करते हुए सम्मेलन के अंतर्गत मुख्य अभिभाषणों, पैनल विचार–विमर्शों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पांच स्थानीय समूहों ने अपनी विदेशी परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण किये।

ये समूह इस प्रकार थे – ईएलआईवी इंटरनेशनल सर्विस, हार्मोनी होम फाउंडेशन, नूरडोफ फाउंडेशन, ओवरसीज मेडिकल मिशन और तेपई, ओवरसीज पीस सर्विसेज। कंबोडिया और म्यानमार में घरों की मरम्मत, थाइलैंड में समुदाय विकास और वियतनाम में बाल पोषण और जल सुधार कार्यक्रम शामिल हैं।

वाणी की ओर से परामर्शिका

विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम, 2010 पंजीकरण के नवीकरण के लिए

किन संस्थाओं को एफसीआरए पंजीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करना है?

उन सभी संस्थाओं को नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा जिन्हें एफसीआरए अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया था।

एफसीआरए पंजीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या हैं?

नवीकरण के लिए आवेदन 500 रुपये के शुल्क के साथ एफसी–5 (संलग्न फार्म देखें) में भर कर करना होगा। नवीकरण का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या चैक के माध्यम से नई दिल्ली में देय "वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के नाम पर भेजना होगा। आवेदन पंजीकरण के समापन की तिथि के छह महीने पहले किया जा सकता है। लेकिन जो संस्थाएं अनेक वर्षों की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं, वे पंजीकरण प्रमाणपत्र के समापन की तिथि से 12 महीने पहले आवेदन कर सकती हैं।

क्या कोई संस्था एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं?

हां, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है और आप एफसीआरए पंजीकरण के लिए http://fcraonline.nic.in/ के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पर यह सलाह भी दी जाती है कि रिटर्न की हार्डकापी भी मंत्रालय को भेजें और रिकार्ड के लिए उसकी एक प्रति अपने पास रखें। साथ ही समय पर अपने वार्षिक रिटर्न भी भरें।

क्या विदेशी अनुदान प्राप्त न करने पर भी संस्थाओं के लिए नवीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है?

हां, जिन संस्थाओं को एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त हुआ है उन सभी को अपने प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना होगा – चाहे उन्होंने विदेशी निधियां प्राप्त की हों या न की हों। विदेशी निधियां प्राप्त न करने के मामले में संस्था 'निल' (शून्य) रिटर्न भरेगी।

यदि कोई संस्था अंतिम तिथि से पहले नवीकरण के लिए आवेदन न कर पाये तो क्या होगा?

संस्था को नवीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा न कर पाने के कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में पर्याप्त आधार प्रदान करने होंगे। अगर कारण उचित या प्रासंगिक पाये गये तो आवेदन को आवश्यक शुल्क के साथ विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है; पर पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र के समापन के चार महीने के बाद नहीं।

वाणी द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में वॉइस 2014 का आयोजन

वाणी ने अपनी क्षेत्रीय सदस्य संस्था, युवा की सहायता से नागपुर, महाराष्ट्र में 16 सितंबर 2014 को अपने वार्षिक कार्यक्रम वॉइस का आयोजन किया। इस वर्ष के वॉइस का विषय था – "निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच विकास साझेदारी में पारस्परिक जवाबदेही।" इस अवसर पर मुख्य वक्ता थीं सीमांतिनी खोटे जो विकास क्षेत्र की अनुभवी पेशेवरकर्मी हैं।

स्वागत अभिभाषण वाणी के मुख्य कार्य अधिकारी, श्री हर्ष जेतली ने दिया। वाणी के वार्षिक कार्यक्रम वॉइस 2014 में भाग लेने के लिए सहभागियों और वाणी के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए श्री जेतली ने कहा कि इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य विचार संस्थाओं को क्षेत्र के सामने उपस्थित मुद्दों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच संबंध का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के नये अवसर का विश्लेषण करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र के साथ अधिकार आधारित मुद्दों पर काम करने के नये अवसरों का पता लगाया जाये और सीएसआर का उपयोग किया जाये। निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच समानता के एक बिन्दु के रूप में सीएसआर के उभार ने विभिन्न कारणों से स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने अनेक अवसरों के दरवाजे खोल दिये हैं। श्री जेतली ने इस बात पर बल दिया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वाणी के राष्ट्रीय विचार–विमर्शों में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहा है।

सीएसआर के समग्रतापूर्ण स्वरूप को सामने लाने के लिए वाणी ने हमेशा निगमित क्षेत्र और फाउंडेशनों से अग्रणी लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास किया है। साझेदारी के अवसरों की तलाश हमेशा से वाणी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ गलत संगठनों द्वारा खराब की गई अपनी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करे। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के पास विकास क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता नहीं है और वह ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ काम करना चाहता है जो विश्वसनीय हों और जितनी आंतरिक प्रणालियां रही हों। इसलिए दोनों के बीच आपसी जवाबदेही का भी उचित और संतुलित होना आवश्यक है।

डॉ. जयंत कुमार, चेयरपर्सन, वाणी – डॉ कुमार ने सहभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें वाणी के वॉइस 2014 में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और वाणी को इस प्रकार के पारस्परिक विचार विमर्श वाले कार्यक्रम के आयोजन पर बधाई दी। श्री जेतली को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है स्वैच्छिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जिनमें से कुछ जवाबदेह हैं और कुछ नहीं हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र का आंकलन करने में केवल उनके आर्थिक पहलू ही प्रेरक कारक नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। डॉ कुमार ने कहा कि संसाधनों का अभाव स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है और एक प्रकार से निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) इसका विकल्प बन सकता है। सीएसआर की क्षमता को लेकर स्वैच्छिक क्षेत्र की जो आशंकाएं थीं उन्हें छोड़ना होगा और दोनों क्षेत्रों के बीच कार्यगत साझेदारी विकसित करनी होगी। स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए यह जानने की अधिक जरूरत है कि सीएसआर क्या है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है।

सुश्री सीमांतिनी खोटे – सुश्री खोटे ने यह कहते हुए अपनी बात की शुरूआत की कि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) ने एक स्तर हासिल कर लिया है और यह निगमित क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दोनों में विस्तारित हो रहा है। नये नियमन से कई नये अवसर और चुनौतियां सामने आई हैं। निगमित क्षेत्र की कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनने के निर्देश को लेकर कैसे काम किया जाये। दूसरी और स्वैच्छिक क्षेत्र साझेदारी के तरीकों और साधनों की तलाश कर रहा है इसका अर्थ यह है कि नये बदलते वातावरण में स्वैच्छिक क्षेत्र को सर्वाअधिक निर्णायक भूमिका निभानी होगी।

सुश्री खोटे का कहना था कि दोनों क्षेत्रों के बीच विभाजन

मौजूद है और इस अंतर को दूर करने के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच एक संपर्क कार्यतंत्र की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक समाज अपने मूल्यों और अपनी पहचान से समझौता किये बगैर निगमित क्षेत्र की संस्थाओं के साथ संबंध बनाये। इस नये प्रतिमान के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ अपनी विशेषताओं को एकजुट कर लें और एक साझे मंच पर एक साथ आयें। स्वैच्छिक संस्थाओं को क्षेत्र में मौजूद अलगाव को लेकर पहले से तैयारी करके रखनी होगी।

सुश्री खोटे ने इस बात पर बल दिया कि इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि निगमित क्षेत्र की कंपनियां स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करने के लिए किस दिशा में सोच रही हैं। दो क्षेत्रों को इस बात पर विचार करना होगा कि वे अपने संसाधनों को एक दूसरे के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं। इस समय दोनों क्षेत्र उथल–पुथल वाले दौर से गुजर रहे हैं और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के खिलाफ काम नहीं कर सकता। कई ऐसे औद्योगिक और निगमित घराने रहे हैं जो कंपनीज अधिनियम से पहले से सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहे हैं। इसके साथ ही कई निजी कंपनियों ने पर्यावरण और आम लोगों पर गहरा और विपरीत प्रभाव डाल रहा। इस तरह निगमित क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच अंतर्निहित टकराव और वैचारिक मतभेद मौजूद रहे हैं। निगमित क्षेत्र लाभ के लिए काम करता है जबकि स्वैच्छिक संगठन समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। निगमित कंपनियां मानव संसाधनों को उत्पादन की फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल करती हैं और स्वैच्छिक संस्थाएं उन्हें परिसंपत्ति समझती हैं और उनके उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं जिनसे वे वंचित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि दोनों क्षेत्र समाज को दो अलग–अलग दिशाओं में देखते हैं।

नागरिक समाज अभी भी क्षेत्र की पहचान, टिकाऊपन और एक्रीडीशन जैसे सर्वाधिक बुनियादी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इस बदलती हुई वास्तविकता में नागरिक समाज सीएसआर के जो वही कार्य करती है जो स्वैच्छिक संस्थाएं करती रही हैं – आने के साथ अपने अस्तित्व को लेकर भी परेशानी की स्थिति में है। प्रश्न यह है कि क्या निगमित क्षेत्र की कंपनियां अच्छा या न्यायपूर्ण काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए अक्सर यह देखा गया है कि भूमि का अधिग्रहरण करने वाली कंपनियां निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ऐसे अनेक कार्यकलापों में शामिल होती हैं जो आस–पास को होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को सजग रहना चाहिए और आम जनता पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रभाव पर नजर रखनी चाहिए।

अंत में इससे स्पष्ट होकर यह तस्वीर उभरेगी कि अगले वर्ष – जब उन्हें व्यय को सार्वजनिक करना होगा – निगमित कंपनियां (कार्पोरेट्स) कितने पारदर्शी हैं। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का मतलब यह नहीं है कि कौन कैसे संसाधनों को व्यय करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए लाभों का समान रूप से वितरण किया जा सकता है। व्यवसाय को स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ–साथ टिकाऊ विकास के लिए उत्तरदायी बनना होगा। स्वैच्छिक संस्थाओं को सामाजिक विकास में अपने अनुभव और विशेष ज्ञान का उपयोग करना होगा और निगमित कंपनियों के साथ सहयोग करना होगा।

एफसीआरए पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया

— एफएमएसएफ का लेख

एफसीआरए पंजीकरण और नवीकरण की सीमित वैधता

1.1.1 नये एफसीआरए 2010 ने पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता को 5 वर्ष तक सीमित कर दिया है। यह गौरतलब है कि पिछला एफसीआरए पंजीकरण तब तक स्थायी होता था जब तक उसे रद्द न कर दिया जाये। एफसीआरए 2010 में हर पांच वर्ष के बाद संस्थाओं द्वारा पंजीकरण के नवीकरण का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण के नवीकरण पर एफसीआरए 2010 के भाग 16 का प्रावधान इस प्राकर है':

"16 पंजीकरण का नवीकरण

(1) हर ऐसा व्यक्ति जिसे भाग 12 के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, प्रमाण पत्र की अवधि के समापन से पूर्व छह महीने के भीतर इस प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगा।

(2) प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र में और तरीके के साथ विहित शुल्क के साथ करना होगा।

(3) केंद्र सरकार उन शर्तों के अधीन जो कि उचित होंगी प्रमाण पत्र के नवीकरण के आवेदन की प्राप्ति की तिथि से सामान्यतः 90 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र का नवीकरण करेगी–

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार 90 दिनों की कथित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं करती तो आवेदनकर्ता को इसके कारणों की सूचना दी जायेगी।

बशर्ते कि केंद्र सरकार तब प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार कर दे जब आवेदनकर्ता ने अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

क्या वर्तमान संस्थाओं को नवीकरण के लिए तत्काल आवेदन करना होगा।

1.2.1 नहीं। इस कानून ने एफसीआरए 2010 के लागू की तिथि से बाद पहले पांच वर्षों के लिए सभी वर्तमान संस्थाओं को नवीकरण के मामले में राहत प्रदान की है। दूसरे शब्दों में सभी वर्तमान संस्थाओं को एफसीआरए 2010 के लागू होने की तिथि से अर्थात एक मई 2011 से पांच वर्षों की अवधि के अंत में पंजीकरण का नवीकरण करना होगा। इसका अर्थ यह है कि सभी वर्तमान संस्थाओं के पंजीकरण का नवीयन पहली मई 2016 को अपेक्षित होगा।

नवीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

1.3.1 एफसीआरए 2010 के नियम 12 में पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। सभी संस्थाओं को अंतिम तिथि के छह महीने पूर्व फार्म एफसी–5 में आवेदन करना होगा। इसलिए सभी वर्तमान संस्थाओं को एक नवम्बर 2015 को या उससे पूर्व एफसी–5 फार्म में भर कर आवेदन करना होगा। इस नियम में आगे यह प्रावधान है कि इस समय चालू बहु–वर्षीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली संस्था पंजीकरण के प्रमाण पत्र के समापन की तिथि से 12 महीने पहले नवीकरण के लिए आवेदन करने के योग्य होगी। आवेदन जमा करने के लिए विहित फार्म एफसी–5 गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/fcra/forms/fc-5.pdf पर उपलब्ध है। एफसीआरए 2011 के नियम 12 में दी गई नवीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

"12 पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण:

(1) किसी व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण के प्रमाण पत्र का उसे जारी करने की तिथि के बाद पांच वर्षों के समापन के बाद नवीकरण किया जायेगा।

(2) हर व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र के समापन की तिथि से 6 महीने पूर्व एफसी–5 फार्म में भर कर केन्द्र सरकार के पास नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति बहु–वर्षीय परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है तो वह पंजीकरण के प्रमाण पत्र के समापन की तिथि के 12 महीने पहले

नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के आवेदन के साथ 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क जमा करना होगा।

(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए शुल्क नई दिल्ली में देय "वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चैक के माध्यम से भेजा जायेगा।

(6) अगर पंजीकरण – प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता या आवेदन के साथ शुल्क नहीं भेजा जाता तो पंजीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता को पंजीकरण देने की तिथि के बाद पांच वर्षों की अवधि पूरा होने की तिथि से रद्द माना जायेगा।

उदाहरण – एक जनवरी 2012 को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 31 दिसंबर 2016 तक वैध माना जायेगा। पंजीकरण के नवीकरण का आवेदन आवश्यक शुल्क के साथ केंद्र सरकार के पास 30 जून 2016 तक पहुंच जाना चाहिए। यदि कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ या फिर आवेदन के साथ शुल्क नहीं भेजा गया तो एक जनवरी 2012 को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधता 31 दिसंबर 2012 को दिन के समापन के बाद से समाप्त मानी जायेगा।

(7) यदि किसी व्यक्ति के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार रद्द हो गई है तो नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति केंद्र सरकार के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।

(8) यदि कोई व्यक्ति नवीकरण के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण स्पष्ट करते हुए, लिखित में, पर्याप्त आधार प्रदान करता है तो उसके आवेदन को आवश्यक शुल्क के साथ विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है; पर पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र के समापन के चार महीनों के बाद ऐसा नही किया जायेगा।

बहु–वर्षीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के लिए नवीकरण के आवेदन हेतु अलग समय–सीमा

1.4.1 नियम 12(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति बहुवर्षीय परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, वह पंजीकरण प्रमाण पत्र के समापन की तिथि के बारह महीने पहले नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। दूसरे शब्दों में जिन संस्थाओं की परियोजनाएं अपूर्ण हैं उन्हें पंजीकरण के समापन की तिथि से एक वर्ष पहले नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए एक मई 2011 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2016 तक वैध होगा। पंजीकरण के नवीकरण का आवेदन गृह मंत्रालय को आवश्यक फीस के साथ 30 अक्टूबर 2015 तक मिल जाना चाहिए। सामान्य संगठनों के मामले में और बहु–वर्षीय परियोजनाओं वाले संगठनों के मामले में नवीकरण के आवेदन 30 अप्रैल 2015 को या उससे पहले जमा किये जायेंगे।

नवीकरण के आवेदन के कितना शुल्क भेजना है।

1.5.1 पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के आवेदन के साथ 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क भेजना होगा। पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीकरण का शुल्क नई दिल्ली में देय "वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक के माध्यम से भेजा जायेगा।

यदि नवीकरण के लिए कोई आवेदन नही किया गया तो क्या होगा?

1.6.1 नियम 12(6) में यह प्रावधान है कि पंजीकरण के नवीयन का आवेदन प्राप्त न होने या इस आवेदन के साथ कोई शुल्क प्राप्त न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता पंजीकरण जारी करने की तिथि के बाद पांच वर्षों की अवधि के पूर्ण होने की तिथि से रद्द मानी जायेगी। उदाहरण के लिए यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ या आवेदन के साथ नवीकरण शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तो पहली मई 2011 को वैध/जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता 30 अप्रैल 2016 को दिन के समापन से रद्द मानी जायेगी।

यदि नवीकरण आवेदन करने में विलम्ब हो जाये तो क्या होगा

1.7.1 यदि कोई संस्था उपयुक्त तिथि को नवीकरण के लिए

आवेदन नहीं करती तो उसका पंजीकरण अवैध माना जायेगा। किन्तु केंद्र सरकार इस विलम्ब को माफ कर सकती है यदि नवीकरण आवेदन जमा न करने के संतोषप्रद कारण दिये जाते हैं। इस प्रकार का विलम्ब पंजीकरण के मूल प्रमाणपत्र के समापन के बाद 4 महीने के बाद तक नही होना चाहिए।

नवीकरण के लिए आवेदन न कर सकने के कारण यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द हो जाता है तो क्या करना चाहिए?

1.8.1 अगर कोई संस्था अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाती या फिर विलम्ब से भी आवेदन नहीं कर पाती तो उसका पंजीकरण अवैध माना जायेगा। ऐसी स्थिति में संस्था नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकती। किन्तु वह एफसीआरए 2011 के अनुसार एफसीआरए 2010 के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।

नवीकरण प्रदान करने की समय–सीमा क्या है?

1.9.1 केन्द्र सरकार प्रमाणपत्र को ऐसी शर्तों के अधीन जो उसे उचित लगे पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर सामान्यतः प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। यदि केन्द्र सरकार 90 दिन की कथित अवधि के अंदर प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं करती तो वह इसके कारण आवेदक को संप्रेषित करेगी। इसके अलावा, यदि व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अंतर्गत नियमावली का उल्लंघन किया है तो केन्द्र सरकार प्रमाणपत्र को नवीकरण करने से मना कर सकती है।

एफसी–5 फार्म के साथ क्या जानकारी और दस्तावेज फाइल करने हैं?

1.10.1 एफसी–5 (देखें अनुलग्नक 1) के साथ आधारभूत जानकारी के साथ निम्नलिखित विवरण जमा करने हैं:

- कार्यकारिणी समिति/गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों के नाम और पते
- कार्यकलाप का प्रकार – वर्तमान पंजीकरण और पैन (पीएएन) के विवरण
- पंजीकरण के बाद समस्त वर्षों के दौरान प्राप्त की गई विदेशी निधियों के वार्षिक विवरण
- निधियों उपयोग के विवरण
- यह घोषणा कि एफसीआरए के सभी प्रावधानों का पालन किया गया है।
- नवीकरण चाहने के कारण
- अगर संस्था कभी ब्लैकलिस्टिड हुई है/कोई सहायता प्राप्त करने से उसे प्रतिबंधित किया गया है और/या अन्य मंत्रालय/केन्द्र के विभाग या राज्य सरकार या फिर सांविधिक प्राधिकरण से निधि प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है तो उसके विवरण
- पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति

जिला–अधिकारी की सिफारिश आवश्यक नही है।

1.11.1 यह उल्लेखनीय है नवीकरण के समय जिलाधिकारी की सिफारिश आवश्यक नहीं है। यह गौर तलब है कि पंजीकरण के समय जिलाधिकारी की सिफारिश आवश्यक होती है, पर नवीकरण के समय इस प्रकार की शर्त से छूट दी गई है।

स्थापना के बाद से एफसी जानकारी प्रदान करना

1.12.1 फार्म एफसी–5 में संस्था की स्थापना के बाद से वार्षिक आधार पर विदेशी अनुदान की प्राप्ति के संबंध में जानकारी आवश्यक है। कई पुरानी संस्थाओं के लिए जो 1976 के बाद से जानकारी रख रही है; यह प्रावधान समस्या पैदा कर सकता है। इस संदर्भ में यह गौरतलब है कि जिस सीमा तक भी जानकारी हो, वह प्रदान की जानी चाहिए। नियम 17(7) के अंतर्गत गैर–लाभकारी संस्थाओं (एनजीओज) के लिए केवल 6 वर्ष के लिए ही वित्तीय जानकारी अपने पास रखना आवश्यक है और इसलिए अगर 6 वर्ष से पहले वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसे एफसीआरए का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

– मुख्य लेखक – डॉ. (सीए) मनोज फोगला
सहलेखक – संजय पात्र, कार्यकारी निदेशक, एफएमएसएफ;
संदीप शर्मा, कार्यक्रम डेस्क प्रमुख, एफएमएसएफ

फार्म एफसी–5

(देखें नियम 12 (2)

सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए विंग)
एनडीसीसी–2 बिल्डिंग, पहली मंजिल, ए विंग
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110 001

विषयः विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम), 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत "पंजीकरण प्रमाणपत्र" के नवीकरण के लिए आवेदन। (नवीकरण का आवेदन पंजीकरण प्रमाण पत्र के समापन की तिथि के छह महीने पहले जमा करना होगा)

प्रिय महोदय,

मैं _____, उल्लिखित संस्था की ओर से निम्नलिखित विवरणों के अनुसार "पंजीकरण प्रमाण पत्र" के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूं:

1. संगठन का नाम व पत्राचार का पूरा पता
   (क) नाम :
   (ख) पताः
   शहर/नगरः
   जिलाः
   राज्यः
   पिन कोडः
   (ग) संस्था का टेलिफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)
   (घ) मुख्य कार्याधिकारी का टेलिफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)/मोबाइल नंबर
   (ड) ईमेल पताः
   (च) मुख्य कार्याधिकारी के आरंभ करके कार्य समिति/ गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों के नाम और पते निम्न फार्मेट में

क्र. सं.	नाम	पता/ पति का नाम	राष्ट्रीयता	कार्य – स्थल के पते के साथ व्यवसाय (आवेदन करते समय फोन/मोबाइल नंबर यदि है तो)	संस्था में पद	कार्य समिति / गव. निंग बाडी के अन्य सदस्यों के साथ संबंध	पत्र व्यवहार का पता

2. संस्था का प्रकार

3. पंजीकरण संख्या

   (क) पंजीकरण का स्थान

   (ख) पंजीकरण की तिथि

   (ग) समापन की तिथि

   (घ) पैन, यदि है तो

   (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. पंजीकरण के समय से अब तक अगर विदेशी अनुदान प्राप्त किया है तो उसके वर्षवार विवरण

5. निधियों के उपयोग के विवरणः

6. क्या विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) में दिये गये विभिन्न प्रावधानों का पालन किया गया हैः

7. प्रमाण पत्र का नवीकरण कराने के कारणः

8. शुल्क संबंधी विवरणः _____रुपये की राशि (शब्दों में) _____पंजीकरण के नवीयन के लिए डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा जो वेतन एवं लेखा अधिकारी गृह मंत्रालय के नाम हैं प्रेषित की जा रही है।

   चेक संख्या _____ तिथि _____ बैंक का नाम _____

9. क्या संस्था को ब्लैकलिस्टिड / केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय / विभाग और अथवा राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया था? यदि ऐसा है तो उसके विवरणः

10. कोई अन्य जानकारी तो संस्था प्रदान करना चाहती हैः

मैं एतद्वारा यह घोषित करता हूं कि उक्त जानकारी सच्ची और सही है।

मुख्य कार्याधिकारी के हस्ताक्षर
(मुख्य कार्याधिकारी का नाम)
संस्था की मुहर

मेरी आवाज़: राहुल बैनर्जी

यह साक्षात्कार राहुल बैनर्जी के साथ – जो कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं – हमारी बातचीत पर आधारित है।

आप स्वैच्छिक क्षेत्र से किस प्रकार जुड़े?

आईआईटी, खड़गपुर में बीटेक के लिए सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय मैं पास के एक गांव में आदिवासी लोगों के बच्चों को लेकर विज्ञान शिक्षा का कार्य कर रहा है। जल्दी ही मुझे इस बात पर संदेह होने लगा कि जो प्रशिक्षण या शिक्षा मैंने प्राप्त की है क्या वह मेरे आदिवासी छात्रों के सामने मौजूद निर्धनता की समस्या से उन्हें निजात दिला पायेगी। अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में मैंने अपने लिए अपना भविष्य तय कर लिया।

1983 में उस समय भीतरी क्षेत्र से खड़गपुर शहर पहुंचने वाली सड़क इस प्रकार से आईआईटी कैंपस को विभाजित करती थी कि कार्यालय सड़क के एक ओर होते थे और हॉस्टल, खेल के मैदान और आवास दूसरी तरफ होते थे। जिस हॉस्टल में मैं रहता था वह सड़क के एक ओर का पहला हॉस्टल था। हर गुरूवार को भूसे से लदी बैलगाडियों का जत्था रात को हमारे हॉस्टल के सामने ठहरता था और खड़गपुर में भूसे की साप्ताहिक बिक्री के लिए सुबह–सुबह निकल जाता था। एक रात को मेरे मित्र और मैंने यह फैसला किया कि हम बैलगाड़ी वालों से बात करेंगे जो कि स्थानीय लोग थे। पूछताछ करने पर पता चला कि वे स्थानीय आदिवासी और भूमिहीन मजदूर हैं जो अपने मालिकों के लिए बैलगाड़ी ले जाते हैं जबकि उनके मालिक बोली लगने की जगह पर उनसे पहले पहुंचे होते हैं । उस समय 1983 में उन्हें 2 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। हमने उनसे पूछा कि क्या वे इमारतों के बारे में जानते हैं जो उस जगह के सामने खड़ी हैं जहां वे ठहरते है। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते। फिर हमने उन्हें विस्तार से बताया। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि एक दिन उनके बच्चे इस संस्था में पढ़ेंगे। एक आदिवासी ने कटु मुस्कान के साथ पूछा कि क्या मैं मजाक तो नहीं कर रहा। इस बात ने मुझे हिला दिया। इसकी वजह से मैं सोचने लगा आजादी के चालीस साल बाद यह कैसा समाज विकसित हुआ है जिसमें दलित लोग अपनी निर्धनता के बाहर निकलने का सपना तक नहीं देख सकते। इसकी वजह से मैंने यह फैसला लिया कि मैं आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के मिशन

पर आगे बढ़ूंगा और इस तरह मैं एनजीओ क्षेत्र का अंग बना।

आपकी सक्रियता का विशेष बिन्दु क्या है?

हमारे कार्य का मुख्य बल भीलों के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच सुलभ कराना है और फिर समुदाय के सहयोग से उनका संरक्षण और उन्हें बढ़ाना तथा आजीविकाओं में सुधार के लिए उनका उपयोग करना है। हमारा प्रयास है कि हम विकेंद्रित जनजातीय विकास के प्रावधानों का – जो संविधान में उल्लिखित है – कार्यान्वयन करें और भील आदिवासियों सामाजिक – आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का निर्माण करें ताकि वे भारत की जनतांत्रिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें। जब हमने भील आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया तो वे यही समझते थे कि उन पर राजाओं का शासन है मतदान तथा चुनाव क्या होते हैं इसके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था। धीरे–धीरे वे अपने

अधिकारों और हकदारियों के लिए लड़ना सीखने लगे और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और खेती में सुधार लाने के कार्य में सहयोग करने लगे। इस कार्य का एक प्रमुख पहलू भील समाज के अंदर मौजूद पितृसत्तावाद को कम करना और इस तरह महिलाओं की शक्ति को उन्मुक्त करना और सामाजिक–आर्थिक लाभों को दुगुना करना है। हमारे कार्य और प्रभाव के विवरण http://dhasgraminvikaskendra.com/ पर उपलब्ध है।

क्या आप अपने विषयगत क्षेत्रों के मामले में आने सामने मौजूद वर्तमान समस्याओं पर प्रकाश डाल सकते हैं?

आज यह एक स्थापित तथ्य है कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित संस्थाओं ने उचित रूप से कार्य नहीं किया है। इसके अलावा गैर–आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीनों को हड़पने से बचाने के लिए और उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए समय–समय पर बनाये गये समर्थकारी कानून और नीतियों, वन अधिकार अधिनियम और मनरेगा को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह मुख्यतः राज्य द्वारा अपनाई गई गलत विकास नीतियों के कारण है जो गैर–आदिवासियों की तुलना में आदिवासियों राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को मजबूत बनाने के बजाये कमजोर बनाता है। उदाहरण के लिए तीव्र आधुनिक औद्योगिक विकास का अर्थ यह है कि आदिवासियों के पर्यावासों को खनन, व्यावसायिक वनन, बड़े बांधों के निर्माण के लिए हासिल किया जाये और विस्थपित लोगों को पर्याप्त मुआवजा और आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध न कराये जायें। साथ ही साथ नदी घाटियों में हरित क्रांति कृषि को प्रोन्नत करने की नीति की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में – जहां आदिवासी रहते हैं – शुष्क भूमि कृषि की उपेक्षा हुई है जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक कृषि प्रणालियों का ह्रास हुआ जिसने आदिवासियों की आजीविका पर प्रतिकूल असर डाला है।

मध्य प्रदेश से भील आदिवासी लड़कियां

अपने सक्रियवाद के लिए आप क्या भविष्य देखते हैं?

सांस्कृतिक और परिस्थितिक विविधता के क्षरण को मानव जाति के लिए एक गंभीर बाधा माना गया है। जब तक प्रभावकारी ढंग से राज्य समर्थित उपभोक्तावादी संस्कृति के हमले का मुकाबला नहीं किया जायेगा, जब तक हम कितना ही विकास हस्तक्षेप कर लें निर्धनों और विशेष रूप से आदिवासियों को टिकाऊ आजीविकाएं प्रदान करने में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे कार्रवाई कार्यक्रम का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वह इस बात पर बल देता है कि आदिवासी संस्कृति और कृषि में तथा उनके प्राकृतिक संसाधन आधार में वह क्षमता है कि वह संस्कृति, पारिस्थिति की और आजीविकाओं के इस विनाशकारी एकरूपीकरण का विकल्प प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार हमारा हस्तक्षेप संस्कृति, पारिस्थिति की और आजीविका विविधता को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए एक ऐसा मॉडल प्रदान करेगा जिसे अन्यत्र दोहराया जा सकता है।

जहां सरकार के हस्तक्षेप अनुपस्थित रहे हैं, वहां उसके द्वारा क्या कार्रवाइयां की जा सकती हैं?

विश्व के समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का विनाश करने वाली बाजार आधारित उपभोक्तावादी संस्कृति का मुकाबला करने के लिए संरक्षण से जुड़े हों, पर आधारित विकेंद्रित मॉडल को प्रोन्नत करना होगा। गांवों में बायोमास गैसीकरण से बड़ी दक्षता से बिजली का उत्पादन करना संभव है और इसके फलस्वरूप ये गांव उत्पादन और उपभोग के गतिशील केंद्र बन सकते हैं जो इस देश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए काफी अधिक रोजगार पैदा करेंगे और साथ ही पारिस्थितिक विवधता को भी संरक्षित रखेंगे।

– श्री अर्जुन कुमार फिलिप्स, वाणी के संचार अधिकारी द्वारा लिया गया साक्षात्कार

संगठन का परिचय: पानी

पीपुल्स एक्शन फॉर नेशलन इंटीग्रेशन (पानी) भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 1989 के बाद से सामाजिक और आर्थिक निर्धनता को लेकर काम कर रही है और वहां के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रही है। पानी विकास के प्रति मानव अधिकार पर आधारित दृष्टिकोण के साथ स्थानीय अभिशासन पर आधारित दृष्टिकोण के साथ स्थानीय अभिशासन प्रणाली में महिला संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करती है। पानी उत्तर प्रदेश में एक अग्रणी राज्य–आधारित संस्था है; इस समय यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में काम कर रही है (सीधे–सीधे और नेटवर्क साझेदारों के साथ)। इसकी स्थापना 1989 में गांधीवादी पृष्ठभूमि और समाकलित विकास की विचारधारा वाले जानेमाने और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की थी। संस्था समुदाय के सशक्तीकरण के; और इस दृष्टिकोण को प्रोन्नत करती है; तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से सीमांतीकृत हिस्सों की महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देती है।

पानी का विजन है "एक स्थिरतापूर्ण और समग्र रूप से विकसित समाज जिसमें सामाजिक न्याय और समानता मौजूद हो।

- **स्थिरतापूर्ण और समग्र रूप से विकसित:** सतत सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के युक्त समाज।
- **सामाजिक न्याय:** हर कोई सम्मान के साथ जिये चाहे उसकी जाति, धार्मिक, मत, धर्म, नस्ल, रंग और जेंडर कुछ भी हो।
- **समानता:** अपनी क्षमता हासिल करने और प्रगतिशील रूप से विकसित होने के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर मिलना।

पानी का मिशन इस प्रकार है:

"अधिकार–आधारित परिप्रेक्ष्य के साथ जमीनी स्तर पर संगठित जन कार्रवाई के माध्यम से सर्वाधिक सीमांतीकृत समुदाय का सशक्तीकरण करके सामाजिक भाई–चारे के साथ समाकलित विकास को प्रोन्नत करना और नागरिक समाज के संगठनों को ठोस परिवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना।"

- **सशक्तीकरण:** एक जानकार, ज्ञानवान, संवेदनशील, संगठित समुदाय जिसकी निर्णय प्रक्रिया तक पहुंच हो और उस पर नियंत्रण हो।
- **सर्वाधिक सीमांतीकृत समुदाय:** वे महिलाएं, बच्चे, युवा और वृद्ध जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, भौगोलिक रूप से बहिष्कृत हैं।
- **संगठित जन कार्रवाई:** लोग खुद मिलकर अपने मुद्दों की पहचान, प्राथमिकीकरण और विश्लेषण करें; योजना बनायें और पहलकदमी करें।
- **अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य:** लोग अपनी हकदारियों और अधिकारों का दावा करें।
- **नागरिक समाज के संगठनों को सक्षम बनाना:** समुदाय में ठोस परिवर्तन सुनिश्चित करने की बढ़ी हुई संस्थागत क्षमता।

पानी अपने हस्तक्षेप में निम्नलिखित दृष्टिकोणों या पद्धतियों को अपनाती है:

1. **समाकलित दृष्टिकोण:** एक ही गांव से अनेक मुद्दों की पहचान करना और हस्तक्षेप तैयार कर इन मुद्दों को हल करना।
2. **जन संस्थाओं की ओर से हस्तक्षेप :** सभी कार्यक्रम जन संगठन के माध्यम से, सामूहिक प्रयास, नेतृत्व निर्माण
3. **स्थानीय अभिशासन/पंचायत और साथ ही सरकार** को संलग्न करना; हस्तक्षेप में ग्राम पंचायत को शामिल करना।
4. **जेंडर के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण:** जेंडर का विश्लेषण, जेंडर रणनीति तैयार करना उसे कार्य योजना में बदलना
5. **मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण:** लोगों को सक्षम बनाना और उनके अधिकारों का दावा करना।

पानी निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्य करती है:

1 सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
2 समाकलित बाल विकास
3 महिला सशक्तीकरण और स्थानीय अभिशासन
4 आजीविका विकास
5 जलवायु परिवर्तन और विपदा–जोखिम में कमी

कार्य के भौगोलिक क्षेत्र

इस समय पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कार्य कर रही है।

- **प्रत्यक्ष हस्तक्षेप :** (पांच जिले) अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, संत कबीर नगर और जौनपुर
- नेटवर्क साझेदारों के माध्यम से हस्तक्षेप (12 जिले) – आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, महाराजगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, सिद्धार्थ नगर, बलरायपुर, फैजाबाद, बेहराइच और श्रावस्ती

  टिप्पणी: अंबेडकरनगर और फैजाबाद में पानी सीधे–सीधे और नेटवर्क साझेदारों के माध्यम से भी काम कर रही है।

कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु : वित्त वर्ष 2012–13

सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

ऐसा स्वस्थ वातावरण स्थापित करना जहां समुदाय के सभी लोग, विशेषकर महिलाएं के तरीके अपना कर, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, कुपोषण में कमी लाना, स्कूल स्वच्छता में सुधार, सुरक्षित पेय जल और व्यक्तिगत साफ–सफाई।

कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

1 पानी – 2880 परियोजना/अंबेडकरनगर में/चाइल्ड फंड आफ इंडिया बंगलौर की सहायता से
2 सीसीसीडीपी परियोजना/अंबेडकर नगर में/प्लान इंटरनेशनल, दिल्ली की सहायता से
3 श्योर स्टार्ट परियोजना/संत कबीरनगर में / पथ, भारत की सहायता से
4 जिंक और ओआरएस चिकित्सा के माध्यम से दस्त की रोकथाम – डीएजेडटी परियोजना/चार जिलों में / एईडी, नई दिल्ली की सहायता से और यूएसएड द्वारा वित्तपोषित

मुख्य उपलब्धियां

जिला संतकबीरनगर की मुख्य उपलब्धियां

- आशा मॉनीटरिंग माड्यूल–1 और माड्यूल–2 के संबंध में 163 एएनएम्स का प्रशिक्षण
- आशा मॉनीटरिंग माड्यूल–1 में 184 एएनएम्स का प्रशिक्षण
- जिला संतकबीरनगर के बघौली ब्लॉक में 50 ग्राम स्वास्थ्य समितियां को मजबूत बनाया गया और उनकी बैठकें शुरू की गईं
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के 76 सदस्यों को समिति के कार्यों, भूमिका और दायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया
- जिला संत कबीरनगर के बघौली ब्लॉक की 104 आशा कार्यकर्ताओं को ग्राम स्वास्थ्य समिति के कार्यों, भूमिका और दायित्वों पर प्रशिक्षण दिया गया।

जिला अंबेडकर नगर परियोजना क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियां

- महिला एवं बाल स्वास्थ्य के मुद्दों पर समुदाय का संवेदीकरण किया गया। इसके फलस्वरूप अनेक संकेतकों में सुधार देखा गया जैसे कि गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में हुई; संस्थागत प्रसव (97 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ सुरक्षित प्रसवों की संख्या बढ़ी; पानी के कार्यक्षेत्र में गर्भवती महिला एवं बाल देखरेख में पूरे परिवार की भागीदारी की वजह से नियमित टीकाकरण में वृद्धि हुई।
- 78 प्रतिशत (12–24 महीने के) बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया
- 342 बच्चों ने विटामिन ए की खुराक प्राप्त की
- युवाओं ने जन्म प्रमाण पत्र, सुरक्षित पेयजल के संबंध में परियोजना विकसित की और योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं।
- 66 आईसीडीएस केंद्र के कार्य में सुधार आया। सभी 24 केंद्रों में आईसीडीएस सेवाओं की परियोजना द्वारा मॉनीटरिंग की गई।
- 39 समुदायों में विश्व स्वास्थ्य और पोषण दिवस को नियमित किया गया।
- कुल गर्भवती पंजीकृत महिलाओं की संख्या 648
- 601/531 महिलाओं को टिटनस का दूसरा टीका लगाया गया।
- 459/472 संस्थागत प्रसव किये गये और 451 को जननी सुरक्षा योजना से लाभ प्राप्त हुआ
- केवल स्तनपान – 256
- 92 कुपोषित बच्चों के स्तर में सुधार
- किशोर/किशोरियां पारिवारिक जीवन शिक्षा के बारे में जागरूक किये गये।
- किशोरियां सरकार द्वारा टेटनस का टीके और आईएफए की गोलियों का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
- समुदाय के लोगों ने शौच के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत अपनाई है।
- ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति को नियमित किया गया
- 53 आईसीडीएस केंद्रों में 3134 बच्चों का पंजीकरण हुआ और औसत 34 स्थिति 54 है।
- नवजात शिशुओं के लिए 597 जन्म प्रमाणपत्र तैयार किये गये।

जिंक और ओआरएस चिकित्सा से दस्त की रोकथाम कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां

- 77788 बच्चों के दस्त का जिंक के माध्यम से उपचार किया गया और 45948 बच्चों ने ओआरएस का उपयोग किया।
- 3473 ग्रामीण चिकित्सकों (आरएमपीज) ने दस्त के उपचार में जिंक का उपयोग शुरू किया और 1935 दवा की दुकानों ने इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की

- 20 सेहत मित्र जिंक और ओआरएस चिकित्सा के बारे में नियमित रूप से जागरूकता निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

समाकलित बाल विकास

पानी का मानना है कि बच्चे हमारा भविष्य है और सभी बच्चों में वह क्षमता होती है कि बड़े होकर अच्छे नागरिक बनें और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में योगदान करें। इस संबंध में मातापिता, समुदाय और देखरेखकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे बच्चों के लिए ऐसा स्वस्थ्य वातावरण तैयार करें जिसमें उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उपयुक्त देखरेख, समानता और सभी मंचों पर सुरक्षा के साथ भागीदारी का बेहतर अवसर मिले। इसलिए अपने दृष्टिकोण में समाकलित बाल विकास को महत्व दें।

उद्देश्य:

बच्चे एक ऐसे सुरक्षित और समर्थकारी वातावरण में पलें–बढ़ें और विकसित हों जहां सभी लड़कियों और लड़कों को सम्मान प्राप्त हो, सुरक्षा मिले और तमाम प्रकार के दुराचार और शोषण के खिलाफ उनका सशक्तीकरण हो और वे विकास तथा निर्णय की प्रक्रिया में सक्रियता से भागीदारी कर सकें।

लक्ष्य

- आईसीडीएस द्वारा संचालित स्कूल–पूर्व शिक्षा (स्कूल तैयारी घटक) को क्षमता निर्माण के सर्वोत्तम तौर–तरीकों के साथ जोड़ना
- आरंभिक बालपन देखरेख और विकास के संबंध में माता–पिता, देखरेखकर्ताओं, अग्रणी कतार के कर्मचारियों और अन्य सेवाकर्मियों की जागरूकता बढ़ाना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना ताकि उनकी भागीदारी और सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हो सके।
- 0–6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं आरंभिक बालपन देखरेख विकास सुनिश्चित करने के साथ, पोषणकारी और प्रेरक वातावरण प्रदान करना।

हर बच्चे का आरंभिक बालपन देखरेख और विकास (ईसीसीडी) सेवाएं प्रदान करना

- चुने हुए प्राथमिक स्कूलों में बाल–मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करने और 6–14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन में सुधार लाना।
- बच्चों के क्षमता–निर्माण और सशक्तीकरण के माध्यम से बच्चों की समस्याओं में कमी लाना ताकि वे अपने अधिकार और हकदारियां स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करें
- गांवो में बाल संरक्षण ढांचों को और ब्लॉक स्तर पर नागरिक समाज सहमेल को स्थापित करना और मजबूत बनाना
- बाल अधिकारों को प्रोन्नत करने के लिए और हिंसा, शोषण तथा दुराचार से बच्चों की रक्षा के लिए व्यस्कों (परिवारों और समुदायों) के ज्ञान को बढ़ाना और उनमें दृष्टिकोणगत बदलाव लाना।
- बच्चों के अधिकारों के समर्थन और प्रोन्नति के लिए विशेष रूप से सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की महिलाओं का सशक्तीकरण करना।

मुख्य रणनीतियां/कार्यकलाप

- प्रशिक्षण, रचनात्मक कार्यशालाओं, अभिमुखीकरण, संपर्क कार्यक्रमों आदि के माध्यम बच्चों, युवाओं और किशोर–किशोरियों का क्षमता–निर्माण करना।
- अपनी आवाज उठाने और विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक मंचों पर मुद्दे उठाने के लिए वातावरण और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बच्चों, युवाओं और किशोर–किशोरियों के समहे को मजबूत बनाना।
- बाल अधिकार के मुद्दों पर समुदाय और अन्य हितधारकों का संवेदीकरण करना।
- सरकारी प्रणालियों और सेवाओं, स्कूल के कार्य, आईसीडीएस, एसएमसी को मजबूत बनाना
- बाल मैत्रीपूर्ण कार्यावली के संबंध में समुदाय – आधारित संस्थाओं (सीबीओज) का क्षमता निर्माण करना
- 350 गांवों में परिवारों के ज्ञान को बढ़ाना
- सुरक्षापूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए नागरिक समाज सहमेलों की स्थापना करना
- चुने हुए स्कूलों में प्रणाली स्थापित करना/कार्यबलों का गठन करना और विपदाओं के समय स्कूलों की सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना।

समुदाय का सशक्तीकरण और स्थानीय स्वशासन का सुदृढ़ीकरण

पानी का दृढ़ता से यह मानना है कि अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के साथ समुदाय के सशक्तीकरण के फलस्वरूप स्थिरतापूर्ण विकास जन्म लेता है। इसीलिए हम समुदाय के सामूहिकीकरण और ज्ञान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय को जानकारी की दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहते हैं ताकि समुदाय के लोग अपनी सामाजिक निर्धनता की समस्या हल कर सकें, आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकें और अपने नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकें। हमारे समुदाय सशक्तीकरण कार्यक्रम का केंद्र दलित और सर्वाधिक पिछड़ी महिलाएं हैं। समुदाय का सशक्तीकरण आवश्यक रूप से विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति और आर्थिक पहलुओं को भी हल करता है।

समग्र उद्देश्य और लक्ष्य

- जमीनी स्तर और विभिन्न स्तरों पर समुदाय–आधारित

संगठनों (सीबीओज) की सहायता करके और स्थानीय अभिशासन प्रणाली में महिलाओं की आवाज को मजबूती प्रदान करने के लिए इन महिलाओं को एकजुट करके महिला नेतृत्व को विकसित करना।

- उनकी हकदारियों और अधिकारों के संबंध में सीबीओ नेताओं को ज्ञान प्रदान करना और उनका क्षमता–निर्माण करना।
- समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओज)/समुदाय और स्थानीय अभिशासन प्रणाली के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय स्थापित करना ताकि गांवों में विकास की भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया को प्रोन्नत किया जा सके।
- उभरते मुद्दों पर ब्लॉक और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय स्तर की एडवोकेसी करने में समुदाय आधारित संस्थाओं की मदद करना।
- समान मुद्दों पर काम करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ सीखों, अनुभव और सफल रणनीतियों को बांटना

मुख्य रणनीतियां/कार्यकलाप

- शांतिपूर्ण और संगठित कार्य के लिए महिलाओं का समूहीकरण करना; विशेष रूप से काम के अधिकार, भोजन के अधिकार, सूचना के अधिकार से संबंधित हकदारियों को अधिकतम रूप से हासिल करना।
- जमीनी स्तर की समुदाय–आधारित संस्थाओं (सीबीओज) को सहायता प्रदान कर महिला – नेतृत्व तैयार करना
- ग्राम सभा को सही अर्थ में कार्यशील बनाना और समुदाय आधारित संस्थाओं (सीबीओज) की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) पर सभी सीबीओज के सदस्यों द्वारा जेंडर – संवेदनशील तरीके से ध्यान केंद्रित करना; एनआरईजीए दिवस एनआरईजीएस शिविर और एनआरईजीए हैल्पलाइन का उपयोग करने में उन्हें सक्षम बनाना।
- जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) 20 मुद्दों को समुदाय आधारित संगठनों के मानदंडों के अनुसार हल करना
- छोटे, उभरते हुए और संभावित जमीनी स्तर के सदस्य संगठनों के साथ साझेदारियों में महिला सशक्तीकरण और स्थानीय अभिशासन के मुद्दों पर काम करना।

आजीविका विकास

विभिन्न मुद्दों पर सामूहिकीकरण और क्षमता–निर्माण के माध्यम से (तकनीकी मुद्दों सहित) समुदाय (महिला, युवा और किसान) को सशक्ति और कौशलपूर्ण बनाना ताकि वे बिना किसी भेदभाव के अपनी खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चत कर सके और सम्मान के साथ समाज में रह सकें।

कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

1. फार्मर्स एक्शन फार सस्टेनेबल एग्रो–बेस्ड लाइबलीहूड – एफएएसएएल परियोजना/उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में, 9 सीएएसयो साझेदारों के साथ/सर दोरबाजी टाटा ट्रस्ट – एसडीटीटी, मुम्बई
2. पीपल्स एक्शन फॉर इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट (पीएआईडी) आजीविका परियोजना/फैजाबाद जिले में/मिसोर, जर्मनी की सहायता से।
3. जिला फैजाबाद में प्रवासी आबादी के लिए सहायता कार्यक्रम/जमशेद जी टाटा ट्रस्ट की सहायता से
4. बाजार से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण – फैजाबाद में/मास्ट (एमएएसटी) अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन से समर्थित
5. सक्षम परियोजना/तीन जिलों में/प्लान इंडिया की सहायता से

मुख्य उपलब्धियां

- विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 14268 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया।
- एसएचजी – आधारित फेडरेशनों / समुदाय – आधारित संगइनों (सीबीओज) द्वारा 60 अन्न बैंक संचालित किये जा रहे हैं।
- 12 ग्राम पंचायतों में 95 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और दलित और पिछड़े समुदायों की 1231 महिलाओं को परियोजना क्षेत्र में संगठित किया गया है।
- 45 स्वयं सहायता समूहों का बैंकों से संपर्क कराना। इन समूहों को स्थायी बैंक से 17,55,700.00 रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई
- एसएचजी–आधारित ग्राम प्रचायत स्तर की फेडरेशनें अपनी हकदारियों को हासिल करने के लिए नियमित रूप से पहलकदमी कर रही हैं।
- 2,595 लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ा गया।
- 150 युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से 20 को नौकरियां प्राप्त हुईं।
- बैंकों से संपर्क करके विभिन्न व्यवसायों में सूक्ष्म उद्यन विकसित किये गये जैसे कि छोटी दुकान, बकरीपालन, सुअर पालन, मोबाइल शॉप, सब्जियों की खेती।
- 3200 किसानों को विभिन्न कृषि आधारित कार्यों में संलग्न किया गया ताकि वे फसलें उगा कर अपनी आजीविका में महत्वपूर्ण बदलाव ला सके।

F. No.II/21022/58(136)/2014-FCRA(MU)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Foreigners Division (FCRA Wing)

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, Dated 21st October 2014

Circular

Subject: Advisory to associations registered/ granted prior permission under FCRA, 2010 to incur expenditure above Rs.20,000/- by cheque/ drafts

During the course of inspection of records and accounts of the associations registered/ granted prior permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 from time to time, it has been observed that some associations withdraw huge amount of foreign contribution (FC) from their FC designated bank accounts and Utilisation Accounts by Cash.

2. It is noted that as per the Income Tax Act, any expenditure incurred by certain categories of NGOs in respect of which payment is made for a sum exceeding Rs.20,000/- otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or by an account payee bank draft, shall not be allowed as a deduction under the Income Tax Act.

3. The issue of fixing an upper limit for incurring expendiure by association registered/ granted prior permission under FCRA, 2010 by cash from FC designated bank accounts and Utilisation Accounts has been under consideration of the Government for some time. The Government, after considering the issue, advises all FCRA associations that items of expenditure/ payments amounting to Rs.20,000/- or more should be done by cheque/ demand drafts.

4. It is also informed that the records and accounts of Associations indulging in cash payments of Rs.20,000/- or more from FC designated accounts or Utilisation Accounts are likely to require more intensive scruntiny by Government.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

21/10/14

(G. K. Dwivedi)
Joint Secretary to the Government of India
Tele: 011-2343-8034

खबरें जिनका आप उपयोग कर सकते हैं

गैर–सरकारी संस्थाएं नकद में 20,000 /रुपये व्यय करें तो सरकार जांच कर सकती है।

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-10-26/news/55446635_1_home-ministry-accounts-ex-penditure

विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम के अंतर्गत संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस (शो काज नोटिस)

http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Show-cause-notices-to-associations-under-Foreign-Contribu-tion-Regulation-Act/articleshow/44315771.cms

अपने रिटर्न भरने के लिए 21,000 गैर सरकारी संस्थाओं को नोटिस

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Over-21000-NGOs-get-notice-for-not-filing-returns/articleshow/40147227.cms

गृह मंत्रालय द्वारा रिटर्न फाइल न करने के लिए 10000 गैर–सरकारी संस्थाओं को नोटिस जारी

http://www.ndtv.com/article/india/home-ministry-issues-notices-to-10-000-ngo-s-for-not-filing-tax-re-turns-600664

एचसी द्वारा ग्रीनपीस फंड को रोकने के लिए केन्द्र को नोटिस दिया गया

http://www.thehindu.com/news/national/hc-issues-notice-to-centre-on-blocking-of-greenpeace-funds/arti-cle6377752.ece

पक्षों के विदेशी अनुदान पर सर्वाच्च न्यायालय का नोटिस

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/sc-notice-on-foreign-funding-of-parties/article6343636.ece

कैलाश सत्यार्थी – वह व्यक्ति जिसने बाल श्रम के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया।

http://indianexpress.com/article/india/india-others/who-is-nobel-peace-prize-winner-kailash-satyarthi/

वाणी के कार्यकलाप अगस्त 2014–सितम्बर 2014

11–13 अगस्त 2014 को विंधाम ग्रांड में रणनीतिक टीम निर्माण पर कार्यशाला

7 अगस्त 2014 को मेघालय में पूर्वोत्तर भारत के स्वैचिछक क्षेत्र की स्थिति पर राज्य बैठक

26–27 अगस्त 2014 को नई दिल्ली के होटल कंफर्ट जोन में दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक

16 सितंबर 2014 को महाराष्ट्र के नागपुर में वॉइस 2014/ वार्षिक महासभा की बैठक